रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 1996/अग्रहायण 12, 1918
No. 36] NEW DELHI, TUESDAY, DCEMBER 3, 1996/AGRAHAYANA 12, 1918

SECRETARIAT OF INDIA

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कर्मचारी

भविष्य निधि योजना, 1995

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 नवम्बर, 1996

सं. डी ई एल : एन डी डी बी.—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल उक्त अधिनियम की धारा 22 (5) के अनुसार एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों का उपबंध करते हैं, यथा :—

1. शीर्षक

निधि "राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि" कहलाएगी और ये नियम 1-11-1995 से लागू समझे जाएंगे।

2. परिभाषा

इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो :

(क) "शिक्षु" का अर्थ है वह शिक्षार्थी या प्रशिक्षणार्थी जिसे प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका दी जाती हो।

(ख) "मूल वेतन" का अर्थ है किसी कर्मचारी द्वारा काम या छुट्टी या अवकाश के दौरान किसी भी स्थिति में नियोजन के संविदा के निबंधन के अनुसार मजदूरी के साथ अर्जित वे सब उपलब्धियाँ जो उसे नकद रूप में दी जाती हैं या देय होती हैं, लेकिन उसमें यह सम्मिलित नहीं है :—

(i) किसी भी खाद्य संबंधी रियायत का नकद मूल्य;

(ii) कोई भी महंगाई भत्ता (यथा, कर्मचारी को निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण किसी भी नाम से दी जाने वाली समस्त नकद अदायगियाँ), मकान किराया भत्ता, उपरिसमय भत्ता, बोनस, कमीशन या इसी प्रकार का अन्य कोई भत्ता जो कर्मचारी को अपने नियोजन या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य के लिए देय हो ;

(iii) नियोजक द्वारा दिया गया कोई भी उपहार;

(iv) निलंबनाधीन अवधि के दौरान लिया गया निर्वाह भत्ता।

(ग) "मंडल" का अर्थ है निधि का न्यासी-मंडल ।

(घ) "संतान" का अर्थ है वैध संतान और इसमें दत्तक संतान शामिल है; यदि न्यासी-मंडल संतुष्ट है कि सदस्य की स्वीय विधि के अधीन संतान को दत्तक लेना विधितः मान्य है ।

(ङ) "चेयरमैन" का अर्थ है राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का चेयरमैन

(च) इस योजना के प्रयोजन के लिए "निरंतर सेवा" का अर्थ है राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अधीन सदस्य द्वारा की गई अविरत सेवा और इसमें बीमारी, दुर्घटना, प्राधिकृत छुट्टी, हड़ताल जो अवैध नहीं है या कार्याविरोध जो कर्मचारी की गलती के कारण नहीं है, सम्मिलित है ।

(छ) "नियोजक" का अर्थ है राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ।

(ज) "कर्मचारी" का अर्थ है कोई भी वह व्यक्ति जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्य में या उससे संबंधित कार्य में किसी भी प्रकार के शारीरिक कार्य में या अन्यथा मजदूरी के लिए नियोजित है और जो अपनी मजदूरी प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में नियोजक से प्राप्त करता है और इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जो (i) स्थापना के कार्य में या उससे संबंधित कार्य में ठेकेदार द्वारा या उसके मार्फत नियोजित है, (ii) शिक्षु के रूप में रखा हुआ है, लेकिन शिक्षु अधिनियम, 1961 के या स्थापना के स्थायी आदेशों के अधीन रखा गया है ।

(झ) "परिवार" का अर्थ है:-

(i) पुरुष सदस्य के मामले में उसकी पत्नी, विवाहित या अविवाहित बच्चे, और सदस्य के आश्रित माता-पिता एवं सदस्य के मृतक पुत्र के बच्चे और विधवा ।

परंतु यदि सदस्य यह साबित कर देता है कि स्वीय विधि जिससे वह विनियमित होता है या पति-पत्नी जिस समुदाय से संबंधित हैं उसकी रूढ़िजन्य विधि के अधीन उसकी पत्नी भरणपोषण की हकदार नहीं रह गई है तो इन नियमों के प्रयोजन के लिए वह सदस्य के परिवार की नहीं मानी जाएगी जब तक कि सदस्य न्यासी मंडल को लिखित रूप में बाद में यह सूचित नहीं कर देता है कि उसे पत्नी के रूप में परिवार का सदस्य माना जाना चाहिए; और

(ii) महिला सदस्य के मामले में उसका पति, विवाहित या अविवाहित बच्चे, उसके आश्रित माता-पिता, उसके पति के आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे

परंतु यदि महिला सदस्य न्यासी मंडल को लिखित नोटिस के जरिए अपने पति को परिवार से निकालने की इच्छा व्यक्त करती है तो इन नियमों के प्रयोजन के लिए पति और उसके आश्रित माता-पिता सदस्य के परिवार के नहीं माने जाएंगे जब तक कि महिला सदस्य इस प्रकार दिए गए नोटिस को बाद में रद्द नहीं कर देती ।

<u>स्पष्टीकरण।-</u>

उपर्युक्त दोनों दशाओं में से हर एक में यदि सदस्य का बच्चा (या यथास्थिति, सदस्य के मृतक पुत्र का बच्चा) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण कर लिया गया है और दत्तक ग्रहीता की स्वीय विधि के अधीन दत्तक ग्रहण करना विधित: मान्य है तो ऐसे बच्चे को सदस्य के परिवार से बाहर का माना जाएगा

(झ) "वित्तीय वर्ष का अर्थ है 1 अप्रैल से 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष की अवधि ।

(ट) "निधि" का अर्थ है इस योजना के अधीन स्थापित भविष्य निधि ।

(ठ) "सदस्य" का अर्थ है वह कर्मचारी जो निधि का अभिदाता है और उसमें ऐसे अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे जिन पर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना का विस्तारण किया जाएगा ।

(ड) "राडेविबो" का अर्थ है राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 (1987 का 37) द्वारा गठित किया गया है ।

(ढ) "नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों" का अर्थ होगा कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में नामित कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो अध्याय-III के नियमों के अनुसार आहरण करने से पूर्व कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में, निधि से कर्मचारी को अदा की जाने वाली राशि या राशि के किसी अंश को प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे ।

(ण) "अध्यक्ष" का अर्थ है निधि के न्यासी-मंडल का अध्यक्ष ।
(त) "सचिव" का अर्थ है न्यास का सचिव ।
(थ) "योजना" का अर्थ है "राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना ।
(द) "न्यासी" का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है तत्समय के लिए निधि के न्यासी ।

3. निधि की स्थापना

(1) एक निधि की स्थापना की जाएगी जिसे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1995 कहा जाएगा । निधि विद्यमान न्यास के अधीन न्यासी मंडल में निहित होगी और उसे वह सभी हितधिकारियों की सहमति के बिना परिवर्तनीय नहीं होगी ।

(2) निधि का गठन निम्न से होगा:-
(क) अभिदान और उस पर संचयन ।
(ख) अंशदान और उस पर संचयन ।
(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन प्रत्येक सदस्य के नाम जमा संचित शेष ।

(घ) इस प्रकार के अभिदानों, अंशदानों, संचयनों और संचित शेषों के मामले में जमा किया गया ब्याज ।

(ङ) विनिमय 18 के अधीन निधि में जमा शेष और

(च) निधि की परिसंपत्तियों से उद्भूत पूंजीगत लाभ ।

3 क. <u>निधि का प्रशासन करने के लिए न्यासी मंडल</u>

(1) निधि का प्रशासन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा एक न्यासी मंडल के माध्यम से किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क) एक अध्यक्ष जिसकी नियुक्ति राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा की जाएगी ।

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कम से कम दो और अधिक से अधिक पाँच प्रतिनिधि जिनकी नियुक्ति राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा की जाएगी ।

(ग) कर्मचारियों के कम से कम दो और अधिक से अधिक पाँच प्रतिनिधि जिनकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

परंतु मंडल में न्यासियों की संख्या 5 से कम और 12 से अधिक नहीं होगी ।

परन्तु यह भी कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या एक बराबर होगी ।

(2) प्रत्येक न्यासी की पदावधि तीन वर्ष की होगी, जो नियुक्ति की तिथि से शुरू होगी और तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभाल लेता ।

(3) न्यासी मंडल अपने संकल्प द्वारा न्यासी के रूप में नियुक्त सदस्यों में से एक सदस्य को निधि का सचिव नियुक्त करेगा । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए कर्मचारी की सहायता सचिव को उपलब्ध होगी और सचिव का यह दायित्व होगा कि वह बैठकों का आयोजन करके उनका रिकार्ड रखे, उचित तरीके से खातों के रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और मंडल के निर्णयों को कार्यान्वित करे ।

(4) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का कोई भी कर्मचारी जो कम से कम दो वर्ष से निधि का सदस्य और जो 45 वर्ष से कम आयु का नहीं है, उसे न्यासी नियुक्त किया जा सकता है ।

पद छोड़ने वाला न्यासी, इसमें इसके पूर्व उपबंधित तरीके से पुनर्नियुक्ति का हकदार होगा ।

(5) कोई भी व्यक्ति न्यासी मंडल के न्यासी के रूप में अयोग्य होगा:-

(i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त वाला घोषित कर दिया गया है, या

(ii) यदि उसे नैतिक धरिश्रष्टीनता वाले अपराध में सजा हुई है, या

(iii) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है या

(6) मंडल के कार्यकाल के दौरान न्यासी/न्यासियों के न्यासी न रहने की दशा में उनका उत्तराधिकारी इससे इसके पूर्व उपबंधित तरीके से नियुक्त किया जाएगा ।

परन्तु इस प्रकार नियुक्त किए गए न्यासी, न्यासी मंडल की असमाप्त अवधि के लिए पदधारण करेंगे ।

(7) न्यासी न्यासी मंडल में नहीं रहेगा, यदि वह :-

i) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का कर्मचारी नहीं रहता है; या

ii) योजना का सदस्य नहीं रहता है; या

iii) नियम 3.5 में उल्लिखित किसी भी प्रकार से अयोग्य पाया गया हो ; या

iv) न्यासी मंडल के अध्यक्ष से अनुपस्थिति की इजाजत लिए बिना मंडल की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है, परन्तु यदि न्यासी मंडल का अध्यक्ष उसकी इस प्रकार की अनुपस्थिति के युक्तियुक्त आधारों से संतुष्ट है तो वह उसे उसकी न्यासिता बहाल कर सकता है; या

v) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा नियुक्त होने के कारण राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाती है

(8) किसी भी विवाद या संदेह के मामलों को प्रबंध निदेशक/चेयरमैन, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

4. <u>नए न्यासी या न्यासियों की नियुक्ति</u>

न्यासी मंडल के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करके न्यासी अपने पद का त्याग कर सकता है, और उसका पद उस तारीख से रिक्त माना जाएगा जिस तारीख को न्यासी मंडल उसका त्यागपत्र स्वीकार करता है ।

मंडल में इस प्रकार रिक्त पद उपर्युक्त नियम 3 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा और ऐसी प्रत्येक नियुक्ति पर, निधि चालू और नए न्यासियों में निहित रहेगी। इस प्रकार नियुक्त नये न्यासी मंडल के अन्य न्यासियों की पदावधि समाप्त होने तक पदधारण करेंगे ।

5. **निधि का नियंत्रण**

न्यासी मंडल का निधि पर पूर्ण नियंत्रण होगा और मंडल इन नियमों के अधीन अपनी ओर से विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए न्यासियों या स्थापना के पदधारियों को शक्तियों का प्रत्योजन करेगा और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे गए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा । मंडल इन नियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले उन सभी मतभेदों और विवादों का भी विनिश्चय करेगा जो चाहे स्पष्टीकरण से संबंधित हो या स्थापना और/या सदस्यों के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित हो और उपस्थित सभी सदस्यों के बहुमत का निर्णय सभी मामलों में अंतिम होगा और संबंधित सभी पार्टियों पर बाध्यकारी होगा । मत समान होने पर चेयरमैन निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे । यदि मंडल का ऐसा कोई निर्णय सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला समझा जाता है तो वह मामला राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के चेयरमैन/प्रबंध निदेशक को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

(2) न्यासी मंडल मंडल के किसी भी न्यासी को पद से हटा सकता है यदि उसके मत में ऐसे न्यासी या सदस्य ने मंडल के उस हित का प्रतिनिधित्व करना छोड़ दिया है जिसका प्रतिनिधित्व न्यास मण्डल में उनके द्वारा किया जाना था ।

परन्तु ऐसा कोई न्यासी पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता है ।

(3) i) निधि का संचालन करने की लागतों, प्रभारों और व्ययों के साथ-साथ लेखे-जोखे का रखरखाव, लेखा परीक्षा, पत्रकों का प्रस्तुतीकरण, और भविष्य निधि संचयों का अंतरण तथा बैंक प्रभार का वहन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किया जायेगा ।

ii) यदि चोरी, सेंधमारी, व्यतिक्रम, दुर्विनियोग या अन्य किसी कारण से निधि को हानि पहुँचती है तो उस की भरपाई राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा की जाएगी ।

6 क. **बैठकें**

1) न्यासी मंडल की बैठक के स्थान और समय जिसका निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा । अध्यक्ष जब कभी भी उचित समझे मंडल की बैठक बुला सकता है और तीन से अधिक न्यासियों से लिखित रूप में आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर मंडल की बैठक बुलाएगा ।

2) प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम सात पूर्ण दिनों का नोटिस समस्त न्यासियों को दिया जाएगा और इस नोटिस में बैठक की तारीख, समय और स्थान और उसमें किए जाने वाले कार्य की सूची का उल्लेख होगा;

परन्तु जब अध्यक्ष ऐसे किसी विषय के विचारार्थ बैठक बुलाता है जो उसके मतानुसार अत्यावश्यक है तो अध्यक्ष द्वारा दिया गया कोई भी लघुतर नोटिस जो उसके विचार में उचित है, इस योजना के प्रयोजन के लिए पर्याप्त माना जाएगा ।

3) अध्यक्ष, मंडल की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा । उसकी अनुपस्थिति में न्यासी अपने ही सदस्यों में से एक सदस्य का चयन बैठक की अध्यक्षता के लिए करेंगे ।

6 ख. **मंडल की बैठक के लिए गणपूर्ति(कोरम) और प्रक्रिया**

1) मंडल की किसी भी बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी बैठक में कम से कम तीन न्यासी उपस्थित न हों जिनमें से एक न्यासी विनियम 3 (क) के खंड 1 (ख) के अधीन नियुक्त न्यासी होना चाहिए और एक न्यासी (1) (ग) के अधीन नियुक्त न्यासी होना चाहिए ।

2) यदि किसी भी बैठक में उपस्थित न्यासियो की संख्या अपेक्षित गणपूर्ति से कम है, तो अध्यक्ष बैठक स्थगित कर देगा और स्थगित बैठक के समय और स्थान की सूचना न्यासियों को देगा और ऐसा होने पर ऐसी स्थगित बैठक मे कार्य का निपटारा करना विधिपूर्ण होगा चाहे उस बैठक में कितने ही न्यासी उपस्थित हों और चाहे उसमें कम से कम एक न्यासी विनियम (3 क) के खंड (1)(ख) के अधीन नियुक्त हुआ और एक न्यासी (3 क) खंड (1) (ग) के अधीन नियुक्त हुआ, उपस्थित हो या न हो ।

3) मंडल की बैठक में विचारार्थ प्रत्येक प्रश्नगत विषय का निर्णय उपस्थित और मत देने वाले न्यासियोंके बहुमत से होगा और अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ।

4) मंडल का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अवैध नहीं समझी जाएगी कि मंडल में कोई रिक्ति है या उसके गठन में या अध्यक्ष या किसी न्यासी की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ।

5) सचिव न्यासी मंडल की सभी बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त और सभी संकल्प परिपत्रों को सम्यक रूप से इस प्रयोजन के लिये रखी गई कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज करायेगा । ऐसे सभी कार्यवृत्तों पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे या उसकी अनुपस्थिति में अगली बैठक के अध्यक्ष द्वारा किये जायेंगे, सभी कार्यवृत्त जिनका यह अभिप्रेत है कि वे हस्ताक्षरित किए गए हैं सभी प्रयोजनों के लिये इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य होंगे कि उसमें दर्ज कार्यवाहियाँ और तथ्य कि बैठक सम्यक और नियमित रूप में बुलाई और आयोजित की गई थी और उसमें सभी कार्यवाहियाँ संपन्न की गई ।

7) निधि की सदस्यता

क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में या इसके कार्य के संबंध में नियोजित प्रत्येक कर्मचारी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में कार्यग्रहण की तारीख से निधि का सदस्य बनने का हकदार होगा और उसका सदस्य बनना अनिवार्य होगा ।

ख) सदस्य बन जाने के पश्चात प्रत्येक कर्मचारी का निधि का सदस्य बने रहना तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह निधि से अपनी संचित पूर्ण भविष्य निधि नहीं निकाल लेता । नियम 22 के अधीन न्यासियों द्वारा कर्मचारी को प्राधिकृत की गई अदायगी की तारीख को निधि से सदस्यता का समाप्त होना माना जायेगा, चाहे वावे की तारीख कुछ भी हो ।

ग) प्रत्येक कर्मचारी सदस्य बन जाने पर अनुबंध "ख" में दिए गए घोषणा प्रारूप पर हस्ताक्षर करेगा । तथापि, इस प्रकार की घोषणा के अभाव में उसकी सदस्यता अवैध नहीं होगी ।

घ) प्रत्येक कर्मचारी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में कार्यग्रहण करने की तारीख से निधि का सदस्य हो जायेगा बशर्ते कि वह पहले छूट-प्राप्त स्थापन से संबंधित निधि का सदस्य था या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अधीन निधि का सदस्य तथा और उसने अपनी भविष्य निधि संचित राशि निधि में से वापस नहीं ली है ।

ङ) यदि प्रश्न उठता है कि क्या कर्मचारी सदस्य बनने का हकदार है या उसका बनना अपेक्षित है या बना रहना जारी रखना है या किस तारीख से वह सदस्य बनने का हकदार है या उसका बनना अपेक्षित है, इस संबंध में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा ।

8क.) **निधि की स्थापना के पश्चात नियोजन में आए व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली घोषणा ।**

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड किसी भी व्यक्ति को नियोजन में लेने से पूर्व उसे अनुबंध "ग" में निर्धारित प्रारूप में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहेगा ।

9. **नामांकन**

क) प्रत्येक सदस्य निधि का सदस्य बनने के पश्चात यथाशीघ्र अनुबंध "घ" में दिए गए प्रपत्र में नामांकन करेगा, जिसमें वह निधि में उसके नाम जमा रकम देय होने से पूर्व या जब रकम देय है लेकिन अदायगी करने से पूर्व अपनी मृत्यु हो जाने की दशा में, उस जमा रकम को प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करेगा ।

ख) सदस्य स्वविवेकानुसार नामांकन में अपने नाम निधि में जमा रकम को अपने नामितों के बीच वितरित कर सकता है । यदि नामांकन करते समय सदस्य का परिवार है, तो नामांकन उसके परिवार के एक या एक से अधिक व्यक्ति के पक्ष में होगा । ऐसे सदस्य द्वारा यदि नामांकन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो परिवार से संबंधित नहीं है, तो ऐसा नामांकन अविधिमान्य होगा ।

ग) यदि नामांकन करते समय सदस्य का परिवार नहीं है, तो नामांकन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है, लेकिन यदि सदस्य बाद में परिवार अर्जित करता है, तो ऐसा नामांकन तत्काल अविधिमान्य समझा जायेगा और सदस्य को अपने परिवार के एक या एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नया नामांकन करना होगा ।

घ) सदस्य किसी भी समय, अनुबंध "घ" में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में अपने आशय की सूचना देने के पश्चात नामांकन में परिवर्तन कर सकता है । यदि नामिती की मृत्यु सदस्य से पहले हो जाती है तो नामिती का हित सदस्य को प्रत्यावर्तित हो जाएगा और ऐसे हित के संबंध में वह नया नामांकन कर सकता है ।

ङ) जहाँ नामांकन पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नाबालिग के पक्ष में है, सदस्य नियम (2) के खंड (ढ) में दी गई परिभाषा के अनुसार अपने परिवार के किसी व्यस्क व्यक्ति का नाम देंगे जोकि नामिती व इस प्रकार नियुक्त संरक्षक से पूर्व सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अव्यस्क नामिती के संरक्षक होंगे ।

परन्तु जहाँ परिवार में कोई व्यस्क व्यक्ति नहीं है, सदस्य स्वविवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति को नाबालिग नामिती का संरक्षक नियुक्त कर सकता है ।

च) नामांकन या उसमें परिवर्तन उस विस्तार तक प्रभावी होगा कि यह उस तारीख पर अधिमान्य हो जिस पर यह न्यासी मंडल को प्राप्त होता है ।

छ) सदस्य नामांकन में यह व्यवस्था भी कर सकता है:-

(क) कि विनिर्दिष्ट नामिती की सदस्य से पहले मृत्यु होने की दशा में, उस नामिती को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को संक्रांत होगा जिसको नामांकन में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(ख) नामांकन में विनिर्दिष्ट आकस्मिक घटना के घट जाने पर नामांकन अविधिमान्य हो जाएगा ।

10. सदस्यों द्वारा अंशदान

(क) प्रत्येक सदस्य प्रत्येक माह अपने मासिक मूल वेतन की और प्रत्येक कर्मचारी को तत्समय मिलने वाले महंगाई भत्ते की 10 प्रतिशत के बराबर की राशि या समय-समय पर अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर निधि में अंशदान करेगा, और कर्मचारी का अंशदान नियोजक द्वारा उसके संबंध में किए गए अंशदान के बराबर होगा ।

(ख) उप नियम (क) के अधीन भविष्य निधि में अंशदान करने वाला प्रत्येक सदस्य यदि वह चाहे तो, भविष्य निधि में अपने मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ते की 10% से अधिक राशि अनुबंध "ड" में दिए गए प्रपत्र में आवेदन करके स्वेच्छिक रूप से जमा करा सकता है ।

(ग) निधि में दिया जाने वाला प्रत्येक माह का अंशदान रूपए के निकटतम रूप में परिकलित किया जाएगा, 50 पैसे या अधिक को आगामी रूपए के रूप में गिना जाएगा और 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाएगा ।

(घ) स्थापना सदस्यों की परिलब्धियों में से प्रत्येक माह उपर्युक्त उपनियम (क) और (ख) के अधीन अपेक्षित राशि काटकर आगामी माह के पन्द्रहवें दिन तक अंतरित कर देगी । इस प्रकार काटी गई राशि सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में जमा कर दी जाएगी ।

(ङ) कर्मचारी के बिना वेतन ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने की अवधि के लिए कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा ।

(च) ऐसे मामले में जहाँ कर्मचारी को "राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड परिवार पेन्शन योजना" का, उपर्युक्त उपनियम (क) और (ख) के अधीन प्रत्येक माह नियोजक और कर्मचारी द्वारा देय अंशदानों में से सदस्य बनना आवश्यक है, तो नियोजक, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक द्वारा निर्धारित दर के आधार पर कर्मचारी के वेतन का भाग और उतनी ही रकम नियोजक के अंश में से परिवार पेन्शन निधि में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट रीति से जमा करेगा ।

(छ) उप-नियम (क) के अधीन कर्मचारी के वेतन की दर रुपए के निकटतम रूप में की जाएगी; 50 पैसे या उससे अधिक को आगामी पूर्ण रूपए में किया जाएगा और 50 पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया जाएगा ।

11. <u>निधि में नियोजक का अंशदान</u>

(क) नियोजक अगले माह के 15 वें दिन तक, निधि के प्रत्येक सदस्य के संबंध में न्यासियों को इसमें इसके पूर्व नियम 10 (क) के अधीन सदस्यों के अनिवार्य अंशदान की कुल राशि के बराबर की राशि न्यासियों को अदा करेगा नियोजक का अंशदान सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में जमा किया जाएगा । इसमें इसके पूर्व नियम 10(ख) के अधीन भविष्य निधि में सदस्य द्वारा किए गए स्वैच्छिक अंशदान के संबंध में नियोजक कोई भी अंशदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

(ख) अंशदान की गणना, पूरे माह के दौरान वास्तविक रूप से प्राप्त मूल वेतन, मलगाई भत्ते (किसी भी खाद्य संबंधी रियायत के नकद मूल्य को सम्मिलित करके) और प्रतिधारण भत्ते (यदि कोई हो) के आधार पर की जाएगी

चाहे वह साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर अदा की गई हो ।

11 क. **अंशदान की अदायगी**

(i) नियोजक प्रथमतः अपने द्वारा अदा किया जाने वाला अंशदान और सीधे अपने द्वारा नियोजित सदस्य या ठेकेदार द्वारा या मार्फत नियोजित सदस्य द्वारा अदा किए जाने वाला अंशदान (नियमों में इसे सदस्य का अंशदान कहा गया है) दोनों को अदा करेगा ।

(ii) ठेकेदार द्वारा या मार्फत नियोजित किए गए कर्मचारियों के संबंध में ठेकेदार ऐसे कर्मचारियों द्वारा देय अंशदान को (नियमों में इसे सदस्य अंशदान कहा गया है) वसूल करके प्रधान नियोजक को सदस्य की काटी गई अंशदान की राशि के साथ समान राशि के अंशदान (नियमों में इसे नियोजक का अंशदान कहा गया है), के साथ निरीक्षण प्रभार भी अदा करेगा ।

(iii) नियोजक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सीधे अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों के संबंध में और ठेकेदार द्वारा या मार्फत नियोजित कर्मचारियों दोनों के संबंध में अंशदान अदा करे

11 ख. **नियोजक का अंश सदस्यों से नहीं काटा जाएगा**

किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी नियोजक सदस्य की मजदूरी से नियोजक का अंशदान काटने का हकदार नहीं होगा या अन्यथा उससे वसूल नहीं करेगा ।

11 ग. **सदस्य के अंशदान की वसूली**

(i) इस नियम के उपबंधों या किसी तत्समय प्रवृत्त विधि या किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी,

नियोजक (या ठेकेदार) द्वारा सदस्य के अंशदान की अदा की गई राशि, सदस्य की मजदूरी में से ही काटकर ही वसूली योग्य होगी अन्यथा नहीं

परन्तु यह कि इस प्रकार की कटौती किसी अन्य मजदूरी से न करके उसी अवधि या अवधि के भाग की मजदूरी में से काटी जानी चाहिए जिसके संबंध में अंशदान देय है ।

परन्तु यह भी कि नियोजक या ठेकेदार ने जिस अवधि के लिए कर्मचारी का अंशदान किया है या देय है, उसे वे उस अवधि के अलावा मजदूरी में से वसूलने के हकदार होंगे जहाँ कर्मचारी ने नियोजक या ठेकेदार के पास कार्यग्रहण करते समय लिखित रूप में मिथ्या घोषणा की है कि वह पहले से ही निधि का सदस्य नहीं था ।

परन्तु यह भी कि जहाँ आकस्मिक भूल या लिपिकीय त्रुटि के कारण इस प्रकार की कटौती नहीं की गई है, तो ऐसी कटौती, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की लिखित सहमति से उत्तरवर्ती मजदूरी में से की जानी चाहिए ।

(i) दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर मजदूरी पाने वाले सदस्यों की कटौती के बारे में मासिक कुल राशि का जोड़ लगाकर मासिक कटौती की सूचना देनी चाहिए ।

(ii) नियोजक या ठेकेदार द्वारा इस नियम के अधीन कर्मचारी की मजदूरी से काटी गई किसी भी राशि के संबंध में यह समझा जाएगा कि जिस अंशदान के संबंध में यह राशि काटी गई है उसे अदा करने के प्रयोजन के लिए उसे सौंपी गई है ।

12. **सदस्य का लेखा और वार्षिक लेखा-विवरण**

1. प्रत्येक सदस्य का एक पृथक लेखा रखा जाएगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे:-

(i) सदस्य का अंशदान;

(ii) सदस्य के लेखे में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया अंशदान;

(iii) सदस्य के लेखे मे प्राप्त होने वाला ब्याज या लाभ;

(iv) निधि में से सदस्य को दी हुई अग्रिम राशि, यदि कोई हो;

(v) सदस्य को दी गई अग्रिम राशि का पुनर्भुगतान ।

2. प्रत्येक सदस्य को वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर वार्षिक लेखा-विवरण दिया जाएगा जिसमें ऊपर उल्लिखित ब्यौरों का इंदराज होगा । विवरण में दिए गए ब्यौरे अंतिम और सदस्य पर बाध्यकारी होंगे । तथापि, विवरण प्राप्त होने के एक माह के भीतर विवरण में होने वाली किसी भी त्रुटि, यदि कोई हो, के संबंध में सदस्य लिखित रूप में सूचित करेगा जिसके बाद न्यासी मंडल जाँच करके त्रुटि का सुधार कर सकता है । निधि का सदस्य अपने लेखे का निरीक्षण स्वयं कर सकता है या किसी प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा करा सकता है । इस प्रकार का निरीक्षण एक सप्ताह की सूचना देकर वर्ष में दो बार से अधिक बार नहीं किया जा सकता ।

13. **निधि के बैंकर**

(1) निधि के बैंकर बैंक ऑफ बड़ौदा, आनंद या ऐसे अन्य अनुसूचित बैंक होंगे जिनका न्यासी मंडल समय-समय पर

धारण कर सकता है और नियोजक एवं कर्मचारियों के अंशदान सहित सभी राशियाँ निधि के बचत बैंक खाते में उक्त बैंक/बैंकों में जमा की जाएँगी । इस खाते से रुपया चैक द्वारा निकाला जाएगा और प्रत्येक चैक पर दो न्यासी हस्ताक्षर करेंगे जिनमें से एक न्यासी का अध्यक्ष का नामिती होना आवश्यक होगा ।

(2) न्यासी मंडल द्वारा प्राधिकृत कोई भी दो न्यासी, जिनमें से एक अध्यक्ष का नामिती होगा, न्यासी मंडल की ओर से बैंक के खातों का संचालन करेंगे और निधि से संबंधित सरकारी बचत-पत्रों, प्रतिभूतियों, कब्जा वारंटी, आदि का आवश्यकतानुसार उन्मोचन करेंगे, प्राप्त करेंगे या अन्यथा निपटान करेंगे और मंडल की ओर से सुसंगत नियमों के अनुसार सदस्यों को उन जीवन बीमा पॉलिसियों को पुनः सौंप सकें जिन्हें सदस्यों ने निधि से आहरण की अदायगी के लिए मंडल को प्रतिभूति के रूप में सौंपा हो ।

14. <u>निधि का निवेश</u>

निधि की ऐसी राशियों को, जिनकी न्यासी मंडल को तात्कालिक रूप से आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से अंशदान की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, समय-समय पर, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के परामर्श से न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार निवेश कर दिया जाएगा ताकि सदस्यों को सुरक्षित, उचित और समय पर प्रतिफल सुनिश्चित किया जा सके ।

15. <u>प्रतिभूतियों की बिक्री</u>

न्यासी मंडल के दो तिहाई बहुमत के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन न्यासी मंडल निधि के प्रयोजन के लिए अपेक्षित धनराशि या धनराशियों को निधि के नाम जमा प्रतिभूतियों की बिक्री करके उगाह सकता है ।

16. **निधि के लाभों का वितरण**

(क) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को या इसके बाद यथाशीघ्र, न्यासी मंडल पिछले 18 महीनों के संबंध में 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन-पत्र और राजस्व लेखा तैयार करेगा । तुलन-पत्र तैयार करते समय मंडल निधि के निवेशों का मूल्य उक्त तारीख पर लागत मूल्य के अनुसार ही लगाएगा ।

(ख) निधि के निवेशों से प्राप्त समस्त आय और प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त समस्त लाभ, यदि कोई हो, उसे राजस्व लेखे में जमा किया जाएगा ।

(ग) उपर्युक्त खंड (ख) में उल्लिखित रूप में राजस्व लेखे में धनराशि जमा करने के पश्चात, मंडल सदस्यों के व्यक्तिगत लेखाओं में, मंडल द्वारा निर्धारित दर पर और लेखा अवधि के दौरान उसके नाम जमा कुल धन राशि के अनुपात में जमा धनराशि का वितरण करेगा ।

(घ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कर्मचारी जो निधि के सदस्य हैं उनके सामान्य कल्याण के लिए मंडल जैसा भी उचित समझे ब्याज उचंत लेखा में उपलब्ध राशि को अंतरित करने और उपलब्ध कराने के लिए सक्षम होगा । यह राशि सदस्य के अंशदान के अनुपात में होगी ।

(ङ) (क) सदस्यों के लेखे में, मासिक चल शेष आधार पर प्रत्येक वर्ष के अंतिम दिन निम्न तरीके से ब्याज जमा किया जाएगा:-

(i) गतवर्ष के अंतिम दिन सदस्य के नाम जमा राशि से चालू वर्ष के दौरान निकाली गई सभी राशियों को कम करके - 13 महीनों के लिए ब्याज,

(ii) चालू वर्ष में निकाली गई राशियों पर - चालू वर्ष के प्रारंभ से जिस माह में राशि निकाली गई, उसके पूर्व माह के अंतिम दिन तक ब्याज,

(iii) गत वर्ष के अंतिम दिन के पश्चात सदस्य के लेखे में जमा समस्त धनराशियों पर - जमा करने के माह के अगले माह के प्रथम दिन से चालू वर्ष के अंत तक ब्याज ।

(iv) ब्याज की कुल राशि को रुपये के निकटतक पूर्णांक में कर दिया जाएगा (50 पैसे की गणना आगे के पूरे रूपए में की जाएगी) ।

स. प्रतिभूतियों के लेखे से हुए किसी भी लाभ को ब्याज उचंत लेखे में जमा किया जाएगा । इसी प्रकार प्रतिभूतियो की बिक्री से हुई हानि को जब्ती लेखे में उपलब्ध जमा रकम की सीमा तक नामे डाला जाएगा और तत्पश्चात ब्याज उचंत लेखे में डाला जायेगा ।

स्पष्टीकरण

नियम 22 या 23 के अधीन धनवापसी के दावे के मामले मे अंतिम अदायगी प्राधिकृत होने की तिथि के गत माह के अंत तक ब्याज देय होगा चाहे संबंधित दावेदार से दावे के प्राप्ति की तारीख कोई भी हो ।

परन्तु यह कि विशिष्ट माह के 25वे दिन या उसके पश्चात प्राधिकृत दावों पर ब्याज चालू माह तक के लिए देय होगा, जिसकी वास्तविक अदायगी चालू माह के समाप्त होने के पश्चात की जाएगी ।

परन्तु यह भी कि खंडित करेंसी अवधि के लिए धनवापसी के दावों पर अनुमत ब्याज की दर वह होगी जो उस वित्तीय वर्ष के लिए नियत है जिसमें धनवापसी को प्राधिकृत किया गया है ।

(च) ब्याज की दर का निर्धारण करते समय, मंडल अपने आप को इस बात से संतुष्ट करेगा कि व्यक्तिगत खातों में ब्याज जमा करने के फलस्वरूप राजस्व लेखे में कोई भी ब्याज की अधिक राशि नामे न डाली जाए ।

(छ) मंडल वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व अगले वर्ष के लिए ब्याज-दर की घोषणा करेगा ।

16 क. (1) किसी लेखे के भविष्य निधि संचयन के अंतिम निपटारे के अंतरण के मामले में, लेखे में जमा धनराशि पर ब्याज अंतिम अदायगी का अंतरण जिस तारीख को प्राधिकृत किया गया है उसके गत माह के अंत तक देय होगा ।

परन्तु यह कि विशिष्ट माह के 25वें दिन या उसके पश्चात प्राधिकृत दावों पर ब्याज चालू माह तक के लिए देय होगा, जिसकी वास्तविक अदायगी चालू माह के समाप्त होने के पश्चात की जाएगी ।

खंडित करेंसी अवधि के लिए अनुमत ब्याज की दर वह होगी जो उस वर्ष के लिए घोषित दर है जिसमें उसकी अदायगी की गई है

(2) अन्य भविष्य निधि से आए सदस्य के मामले में उसकी अंतरित संचित राशि पर ब्याज उसके लेखे में उस माह के प्रारंभ से दिया जाना है जिस माह में संचित राशि प्राप्त हुई है ।

17. **निधि के लेखाओं की लेखा परीक्षा**

(i) न्यासी मंडल द्वारा निधि के लिए नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक रूप में लेखाओं की लेखा परीक्षा की जाएगी । वार्षिक भविष्य निधि लेखाओं की एक लेखा परीक्षित प्रति, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात छह माह के भीतर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को भेजी जाएगी ।

(ii) न्यासी मंडल द्वारा रखे गए भविष्य निधि लेखाओं की लेखा परीक्षा, वार्षिक रूप में योग्य स्वतंत्र सनदी लेखापाल के अध्यधीन होगी ।

(iii) निधि न्यासी मंडल में निहित होगी और अन्य बातों के साथ-साथ न्यासी मंडल अपनी अभिरक्षा में निधि की प्राप्तियों और अदायगियों के और जमा राशि के लेखाओं को उचित प्रकार से रखने के लिए उत्तरदायी और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रति दायित्वाधीन होगा ।

18. **निरीक्षण**

न्यासी मंडल राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को निधि के लेखाओं का निरीक्षण करने के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा

18 क. **ब्याज उचंत लेखा**

प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज, लाभ तथा वसूली या उपार्जित अन्य आय "ब्याज उचंत लेखा" शीर्षक लेखे में जमा की जाएगी । प्रतिभूतियों के क्रय और बिक्री पर और अन्य निवेशों पर दलाली और कमीशन यथास्थिति क्रय या विक्रय मूल्य में शामिल की जाएगी और अलग से "ब्याज उचंत लेखे" में प्रभारित नहीं की जाएगी ।

19. **पेशगियाँ**

19 क. **सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों का वित्तीयन**

(1) यदि जन सदस्य यह चाहता है कि उसके द्वारा अपने लिए या अपनी पत्नी या संतान के लिए ली गई जीवन बीमा की वैध रूप से समनुदेशनीय पॉलिसी का देय प्रीमियम उसके भविष्य निधि खाते से वित्तपोषित होना चाहिए तो वह इसके लिए लिखित रूप में आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि प्रीमियम वार्षिक रूप में देय होना चाहिए । इस प्रकार का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर न्यासी मंडल सदस्य की ओर से भारतीय जीवन बीमा निगम या न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित

बीमा कंपनी को देय प्रीमियम की राशि अदा कर देगा और निधि में सदस्य की ब्याज सहित अंशदान की जमा राशि में इसके उसके नामे डाल देगा । बशर्ते कि ऐसा अंशदान प्रीमियम अदा करने के लिए पर्याप्त है और जबकि पहले प्रीमियम की अदायगी करनी है तो ऐसा अंशदान दो वर्षों का प्रीमियम अदा करने के लिए पर्याप्त है ।

परन्तु यह कि पॉलिसी की परिपक्वता की अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए ।

(2) सदस्य जिसे इस नियम के अधीन पेशगी दी गई है, वह न्यासी मंडल को पॉलिसी समनुदेशित करेगा और समनुदेशन की अवधि के दौरान न्यासी मंडल का पॉलिसी पर और उस पर मिलने वाली राशि, बोनस आदि पर पूर्ण नियंत्रण होगा ।

(3) इस नियम के अधीन धन-वापसी पॉलिसी की प्रकृति वाली पॉलिसी को वित्तपोषित नहीं किया जाएगा ।

4) इस खंड के अधीन ब्याज सहित पेशगी लौटाने पर पॉलिसी सदस्य को पुनः समनुदेशनीय कर दी जाएगी ।

19 ख. **निधि से निवास गृह/फ्लैट की खरीद या निवास गृह के निर्माण या इस प्रयोजन के लिए उचित स्थल का अर्जन करने के लिए आहरण ।**

1) न्यासी मंडल, सदस्य से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर और इस नियम में निर्धारित शर्तों के अधीन निधि में सदस्य के नाम जमा राशि में से आहरण संस्वीकृत कर सकता है

क) न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित किसी भी वैध व्यक्तियों/एजेन्सियों से निवास गृह/फ्लैट खरीदने के लिए इसमें संयुक्त रूप से अन्यों के साथ स्वामित्व वाले भवन में फ्लैट सम्मिलित हैं, या निवास गृह का निर्माण करने के लिए जिसमें निर्माण करने के प्रयोजन के लिए उचित स्थल का अर्जन सम्मिलित है ।

ख) खंड (क) और (ख) के अधीन सदस्य के या सदस्य की पत्नी या पति के या सदस्य और सदस्य की पत्नी या पति के संयुक्त रूप में स्वामित्व वाले स्थल पर निवास गृह के निर्माण के लिए या ऐसे स्थल पर सदस्य या सदस्य की पत्नी या पति द्वारा पहले से शुरू किए गए निवासगृह के निर्माण को पूरा करने/जारी रखने के लिए, या सदस्य और सदस्य की पत्नी या पति के संयुक्त नाम से मकान/फ्लैट खरीदने के लिए ।

2) आहरण की राशि सदस्य की 36 माह की आधारिक मजदूरी और महंगाई भत्ते से अधिक नहीं होगी या निधि में सदस्य के लेखे में उसके अपने अंशदान एक साथ ब्याज सहित नियोजक के अंशदान से या निवास स्थल (उस पर निर्माण की लागत सहित) के अर्जन के लिए या निवासगृह/फ्लैट की खरीद के लिए या निवासगृह के

निर्माण के लिए रजिस्ट्रेशन फीस सहित वास्तविक लागत, इनमें से जो भी राशि कम हो ।

3) (क) इस नियम के अधीन कोई आहरण नहीं दिया जाएगा जब तक कि:

(i) सदस्य ने निधि की पाँच वर्ष की सदस्यता पूरी न कर ली हो;

(ii) निधि में सदस्य के नाम जमा राशि में उसके अपने अंशदान की ब्याज सहित जमा राशि दस हजार रुपए से कम न हो;

(iii) निवासस्थल या निवासगृह(फ्लैट या निर्माणाधीन मकान भार (Encumbrances) मुक्त न हो ।

परन्तु जहाँ निवास स्थल या निवासगृह/फ्लैट किसी भी एजेन्सी को, निवास गृह/फ्लैट की खरीद के लिए या निवासगृह के निर्माण सहित इस प्रयोजन के लिए उचित स्थल का अर्जन करने के लिए निधियाँ प्राप्त करने के लिए ही बंधक रखा गया है तो ऐसे निवास स्थल या निवास गृह/फ्लैट जैसी भी स्थिति हो; भारयुक्त संपत्ति नहीं समझा जाएगा ।

30 वर्ष से अधिक अवधि की पट्टे पर अर्जित भूमि पर निवासगृह/फ्लैट का निर्माण करने के लिए या ऐसी पट्टेवाली भूमि पर बने हुए मकान/फ्लैट को भी भारयुक्त संपत्ति नहीं समझा जाएगा ।

परन्तु जहाँ निवासगृह/फ्लैट का स्थल ऐजेंसी के नाम में है जैसाकि उप-नियम (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट है और ऐजेंसी की पूर्व अनुमति के बिना आवंटिती द्वारा पर मकान/फ्लैट के अंतरण या अन्यथा विक्रय करने पर रोक लगी हुई है, तो केवल यह तथ्य कि आवंटिती के पास मकान/फ्लैट के स्वामित्व का पूर्ण अधिकार नहीं है और स्थल ऐजेंसी के नाम में है, तो यह उप-नियम(1) के खंड (क) के अधीन आहरण देने के लिए रूकावट नहीं होगा, यदि इस नियम में उल्लिखित अन्य शर्तें पूरी हो जाती हैं ।

4. उप-नियम (3) में निर्धारित परिसीमाओं के अधीन -

क) जहाँ उप-नियम (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट ऐजेन्सी से निवास गृह/फ्लैट या निवास स्थल खरीदने के लिए आहरण लिया जा रहा है आहरित राशि की अदायगी सदस्य को नहीं की जाएगी बल्कि ऐजेंसी को सीधे एक या अधिक किस्तों में की जाएगी जैसाकि सदस्य द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा;

ख) जहाँ निवासगृह के निर्माण के लिए आहरण लिया जा रहा है, वह न्यासी मंडल जैसा उचित समझे उतनी ही किस्तों में संस्वीकृत किया जा सकता है;

ग) जहाँ किसी व्यक्ति या किसी ऐजेंसी से निवासगृह का निर्माण करने के प्रयोजन के लिए निवास स्थल के अर्जन के लिए आहरण किया जा रहा है, आहरित राशि कम से कम दो समान किस्तों में दी जाएगी, पहली किस्त निवास स्थल का अर्जन करते समय और दूसरी किस्त सदस्य के आवेदन करने पर उक्त निवास स्थल पर निवासगृह का निर्माण करने के समय दी जाएगी ।

(5) जहाँ निवास गृह के निर्माण के लिए आहरण संस्वीकृत किया गया है, पहली किश्त के आहरण से छह माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए और अंतिम किश्त के आहरण से 12 माह के भीतर पूरा होना चाहिए । जहाँ निवासगृह/फ्लैट की खरीद या निवास स्थल के अर्जन के लिए आहरण संस्वीकृत किया गया है, खरीद या अर्जन जैसी भी स्थिति हो, राशि आहरित करने के छह मास के भीतर पूरा होना चाहिए;

(6) 12 माह की आधारिक मजदूरी और महंगाई भत्ते तक या निधि में सदस्य के नाम जमा अपने अंशदान सहित ब्याज की राशि जो भी कम हो का एक अतिरिक्त आहरण एक बार और केवल एक किश्त में सदस्य के या सदस्य की पत्नी या पति के या सदस्य और सदस्य की पत्नी या पति के संयुक्त स्वामित्व वाले निवासगृह में परिवर्धन, पर्याप्त परिवर्तन या आवश्यक सुधार करने के लिए किया जा सकता है:

परन्तु यह आहरण निवासगृह का कार्य पूर्ण होने की तारीख से पाँच वर्ष बाद स्वीकार्य होगा ।

6क) सदस्य को नए आवेदन की तारीख को उप-नियम (2) के अधीन अनुज्ञेय आहरण की राशि और इस नियम के अधीन 3.10.81 से पहले छह वर्षों के दौरान किसी भी समय सदस्य द्वारा लिए गए आहरण की राशि के अंतर के समतुल्य एक अतिरिक्त आहरण ऐसे सदस्य को स्वीकृत किया जा सकता है (i) जिसने पूर्वतर आहरण, निवासस्थल की खरीद के लिए लिया था और अब उस खरीदे गए स्थल पर निवासगृह बनाने का प्रस्ताव है, या (ii) जिसने पूर्वतर आहरण उपयुक्त उप-नियम (1) के खंड (क) में उल्लिखित किसी ऐजेंसी से मकान/फ्लैट के आबंटन/खरीद की प्रारंभिक अदायगी के लिए लिया था और अब इस प्रकार खरीदे गए मकान/फ्लैट के एकमात्र स्वामित्व के लिए सौदे को पूर्ण करने का प्रस्ताव है या (iii) जिसने पूर्वतर आहरण मकान बनाने के लिए लिया लेकिन निधियों के अभाव में समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सका ।

7. सदस्य हक विलेख (Title deed) और ऐसे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जो निरीक्षण के लिए आवश्यक हो. जिन्हे आहरण स्वीकृत करने के पश्चात सदस्य को लौटा दिया जाएगा ।

8. क) यदि इस नियम के अधीन स्वीकृत आहरण की राशि, जिस प्रयोजन के लिए यह स्वीकृत किया गया था उस पर व्यय की गई वास्तविक राशि से अधिक है, तो खरीद पूर्ण होने, या निर्माण कार्य पूर्ण होने या निवासगृह में आवश्यक परिवर्धन, परिवर्तन या सुधार पूर्ण होने के जैसी भी स्थिति हो, सदस्य को 30 दिन के भीतर निधि को अतिरिक्त रकम एकमुश्त रूप में लौटानी होगी । इस प्रकार लौटायी गई रकम को निधि में नियोजक के अंशदान के रूप में सदस्य खाते में उस परिमाण तक जमा किया जाएगा जितना राशि उक्त अंशदान के आहरण के रूप में स्वीकृत की गई थी और शेष राशि यदि कोई हो तो उसे सदस्य के अंशदान के रूप में उसके खाते में जमा किया जाएगा ।

ख) ऐसी दशा में जब सदस्य को निवास स्थल/निवासगृह/फ्लैट आबंटित नहीं होता है, या ऐसी दशा में सदस्य को किया गया आबंटन रद्द हो जाता है और ऐजेंसी द्वारा रकम की वापसी की जानी है या ऐसी दशा में जब सदस्य किसी व्यक्ति से निवास स्थल का अर्जन करने में या मकान/फ्लैट खरीदने में या निवासगृह का निर्माण करने में असमर्थ रहता है, तो उप-नियम(1) के खंड (क) में उल्लिखित ऐजेंसी को या इस नियम के अधीन सदस्य को दी गई आहरण की राशि, जैसी भी स्थिति हो, न्यासी मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से निधि में एकमुश्त रूप में लौटाने के लिए सदस्य उत्तरदायी होगा ।

इस प्रकार लौटाई गई रकम को निधि में नियोजक के अंश के रूप में सदस्य के खाते में उस परिमाण तक जमा किया जाएगा जितनी राशि उक्त अंश से आहरण के रूप में स्वीकृत की गई थी और शेष राशि यदि कोई हो, तो उसे सदस्य के अंश के रूप में उसके खाते में जमा किया जाएगा ।

9) यदि न्यासी मंडल इस बात से संतुष्ट है कि इस नियम के अधीन स्वीकृत आहरण जिस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है या इस नियम के अधीन स्वीकृत आहरण का दुरुपयोग किया गया है, तो न्यासी मंडल देय रकम की दांडिक ब्याज सहित वसूली करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा । दांडिक ब्याज की दर का निर्धारण न्यासी मंडल करेगा जो सदस्य को उनके जमा शेष पर दी जाने वाली ब्याज की दर के ऊपर होगी । उक्त वसूली सदस्य की मजदूरी में से न्यासीयमंडल द्वारा निर्धारित किस्तों की संख्या में की जाएगी । इस प्रकार की वसूली के लिए न्यासीमंडल नियोजक को मजदूरी में से इस प्रकार की किस्तों में कटौती करने के लिए निर्देश दे सकता है और इस प्रकार के निर्देश प्राप्त होने पर नियोजक तदनुसार कटौती करेगा । इस प्रकार वापिस की गई रकम दांडिक ब्याज को छोड़कर निधि में नियोजक के अंश के रूप में सदस्य के खाते में उस परिमाण तक जमा की जाएगी जितनी रकम उक्त अंश से आहरण के रूप में स्वीकृत की गई थी और शेष रकम, यदि कोई हो, तो उसे सदस्य के अंश के रूप में उसके खाते में जमा किया जाएगा । तथापि, दांडिक ब्याज की रकम को ब्याज उचंत लेखा/राजस्व लेखा में जमा कराया जाएगा ।

10) जहाँ इस नियम के अधीन स्वीकृत किसी आहरण का सदस्य द्वारा दुरुपयोग किया गया है, उक्त आहरण की स्वीकृति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर या उक्त आहरण की रकम की दांडिक ब्याज सहित वसूली पूरी हो जाने तक इनमें से जो भी अवधि लंबी हो; इस नियम के अधीन सदस्य को आगे आहरण स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

19.1) **विशेष मामलों में ऋणों की वापसी के लिए निधि से पेशगी**

1 क) न्यासी मंडल सदस्य द्वारा आवेदन करने पर निधि में सदस्य के नाम जमा राशि में से, राज्य सरकार सहकारी समिति, आवासन बोर्ड, नगर निगम या दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसे समरूप निकाय से केवल नियम 19-ख के उप-नियम 1 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त ऋणों की पूर्णतः या भागतः मूल राशि और ब्याज की वापसी के लिए, पेशगी संस्वीकृत कर सकता है ।

ख) पेशगी की राशि सदस्य की 36 मास के मूल वेतन मजदूरी और मंहगाई भत्ते या सदस्य के अपने अंशदान और नियोजक के अंशदान और उस पर ब्याज सहित निधि में उसके खाते में जमा राशि या उक्त ऋण की देय मूल और ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगी, इनमें से जो भी कम हो ।

2. इस नियम के अधीन कोई भी पेशगी संस्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि:-

क) सदस्य ने निधि की सदस्यता के पाँच वर्ष पूरे न कर लिए हों;

ख) सदस्य के अपने अंशदान और उस पर ब्याज सहित निधि में उसके नाम पाँच हजार रुपए या अधिक जमा न हो; और

ग) सदस्य न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेजों को ऐजेंसी से लेकर प्रस्तुत नहीं कर देता, जिसमे सदस्यों के विवरण, स्वीकृत ऋण, ऋण की बकाया मूल राशि एवं ब्याज और ऐसे अन्य विवरणों का संकेत हो, जो अपेक्षित हो

3. इस नियम के अधीन पेशगी की अदायगी, सदस्य का प्राधिकरण प्राप्त होने पर, न्यासी मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से ऐजेंसी को की जाएगी और किसी भी दशा में सदस्य को अदायगी नहीं की जाएगी ।

19 घ) **कुछ मामलों में बीमारी के लिए निधि से पेशगी**

1. सदस्य को निधि में से नावापसी पेशगी उसे अपने या उसके परिवार के सदस्य के उपचार के लिए निम्न मामलों में दी जा सकती है:

क) 10 दिन या अधिक दिनों के लिए अस्पताल में रखने के लिए, या

ख) अस्पताल में फ़ौरन शल्यकर्म के लिए, या

ग) यक्ष्मा (टी.बी.), कुष्ठ, लकवा, एड्स, कैंसर, मानसिक विकृत, गुर्दा और हृदय रोगों से पीड़ित होने पर और जिसके लिए उसके नियोजक द्वारा उक्त बीमारियों के उपचार के लिए छुट्टी मंजूर कर दी गई है ।

2. पेशगी स्वीकृत तब की जाएगी जब अस्पताल का चिकित्सक यह प्रमाणित कर देगा कि शल्यकर्म या जैसी भी स्थिति हो, के लिए 10 दिन या अधिक दिनों के लिए अस्पताल में रखना आवश्यक हो गया था या हो गया है (या पंजीकृत चिकित्सक अथवा मानसिक रोग या हृदय रोग के मामले में विशेषज्ञ यह प्रमाणित करे कि सदस्य यक्ष्मा, कुष्ठ, लकवा, कैंसर, एड्स, मानसिक रोग या हृदय या गुर्दा की बीमारी से पीड़ित है ।

परंतु यह कि सदस्य को पेशगी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि न्यासी मंडल की संतुष्टि करने के लिए वह अस्पताल के चिकित्सक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देगा ।

3. इस नियम के अधीन दी जाने वाली पेशगी की राशि सदस्य के छह माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ते या निधि में उसके अंशदान की ब्याज सहित राशि, इसमें जो भी कम हो से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

19 ङ. **सदस्य और बच्चों की मैट्रिकोत्तर शिक्षा या विवाह के लिए निधि से पेशगी ।**

1. न्यासी मंडल सदस्य से आवेदन प्राप्त होने पर, उसके अपने विवाह या उसकी पुत्री, पुत्र, बहन या भाई के विवाह या अपने पुत्र या पुत्री की मैट्रिकोत्तर शिक्षा के लिए, या हाई स्कूल के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए या अपनी मैट्रिकोत्तर शिक्षा के लिए जिसके लिए नियोजक ने उसे जारी रखने के लिए अनुमति दे दी है, भविष्य निधि खाते से नावापसी पेशगी की अदायगी प्राधिकृत कर सकता है, लेकिन यह पेशगी प्राधिकरण की तारीख पर, निधि में सदस्य के अपने अंशदान और उस पर ब्याज सहित जमा राशि की पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

2. इस नियम के अधीन सदस्य को कोई पेशगी संस्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि :-

क) सदस्य ने निधि की सदस्यता के पाँच वर्ष पूरा न कर लिए हों;

ख) सदस्य के अपने अंशदान और उस पर ब्याज सहित निधि में उसके नाम पाँच हजार रुपए या अधिक जमा न हों; और

3. इस नियम के अधीन सदस्य को तीन से अधिक पेशगियाँ स्वीकृत नहीं की जाएंगी ।

19 च. **असामान्य स्थितियों में पेशगियों की स्वीकृति**

1. न्यासी मंडल, ऐसे सदस्य से आवेदन प्राप्त होने पर, जिसकी चल या अचल संपत्ति बाढ़, भूचाल या वर्गों जैसी असाधारण प्राकृतिक विपत्तियों से क्षतिग्रस्त हो गई है, अदृष्ट व्यय के लिए उसे भविष्य निधि खाते से दस हजार रुपए की या प्राधिकरण की तारीख को निधि मे सदस्य अपने अंशदान और उस पर ब्याज सहित जमा

राशि का 50% को, इनमें से जो भी कम हो, नावापसी पेशगी की अदायगी प्राधिकृत कर सकता है ।

3. उपनियम (1) के अधीन कोई पेशगी नहीं दी जाएगी जब तक कि:-

i) राज्य सरकार यह घोषणा नहीं करती कि विपत्ति से क्षेत्र की आम जनता प्रभावित हुई है;

ii) सदस्य समुचित प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता कि उसकी संपत्ति (चल या अचल) विपत्ति के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त हो गई है ।

iii) सदस्य द्वारा उपनियम (i) में उल्लिखित घोषणा की तारीख से 1 माह के भीतर पेशगी के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है

19 छ. **<u>विकलांग सदस्यों को पेशगी स्वीकृत करना ।</u>**

1. विकलांग सदस्य को, विकलांगता के कारण होने वाले कष्टों को कम करने के लिए आवश्यक उपस्कर की खरीद के लिए, निधि में उसके खाते से नावापसी पेशगी स्वीकृत की जा सकती है ।

2. उप-नियम (1) के अधीन कोई भी पेशगी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि न्यासी बोर्ड की संतुष्टि के लिए सदस्य सक्षम चिकित्सक से इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देगा कि वह विकलांग है ।

3. इस नियम के अधीन स्वीकृत पेशगी की राशि सदस्य के 12 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते या सदस्य के अपने अंशदान और उस पर ब्याज सहित निधि में जमा राशि या उपस्कर की लागत, जो भी इनमें से कम हो, से अधिक नहीं होगी ।

4. इस नियम के अधीन पेशगी स्वीकृत करने की तीन वर्ष की अवधि तक कोई दूसरी पेशगी राशि स्वीकृत नहीं की जाएगी ।

19 ज. **बच्चों के स्व-रोजगार के लिए सदस्यों को पेशगी स्वीकृत करना ।**

1. सदस्य को अपने अविवाहित पुत्र या अविवाहित पुत्री के स्व-रोजगार के प्रयोजन के लिए निधि में उसके खाते से नावापसी पेशगी स्वीकृत की जा सकती है ।

2. पेशगी राशि, सदस्य की 12 माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ते या रुपए 25,000 जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ।

3. इस नियम के अधीन कोई पेशगी मंस्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि:-

(क) सदस्य निधि की सदस्यता के पाँच वर्ष पूरे नहीं कर लेता है; और

(ख) सदस्य न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर देता है, जिसमें रोजगार का स्वरूप, पेशगी का उपयोग और ऐसे अन्य अपेक्षित विवरणों का उल्लेख किया गया हो

19 झ. **सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के भीतर आहरण**

न्यासी मंडल, सदस्य द्वारा 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद किसी भी समय या उसकी वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के भीतर, जो भी बाद में हो, सदस्य की जमा राशि में से 90% तक आहरण करने की अनुमति दे सकता है ।

19 ञ. सदस्य जिसने निधि की सदस्यता के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं उसे अपने अंशदान की जमाराशि का 50 प्रतिशत तक आहरण करने की अनुमति दी जा सकती है ताकि वह किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बनाई गई सेवानिवृत्ति पश्चात सुविधा योजना में अपने लिए और पत्नी या पति के लिए अंशदायगी कर सके ।

19ट. **सदस्यता की अवधि की संगणना**

नियम 19-स, 19-ग, 19-घ, 19-ङ और 19-च के अधीन सदस्य की निधि की सदस्यता की अवधि की संगणना, उसकी कुल सेवा अवधि में से उसी नियोजक या निधि के गठन से पूर्व अन्य स्थापना में सेवा-विच्छेद की अवधियों को छोड़कर इसके आनुषंगिक उसकी सदस्यता की अवधि, चाहे वह कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अधीन स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि की हो या कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंध 17 (1) या कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैराग्राफ 27 या 27-ए के अधीन छूट प्राप्त प्राइवेट भविष्य निधि की हो, को शामिल किया जाएगा:

परन्तु यह कि उसने इस अवधि के दौरान अपने भविष्य निधि खाते से रकम निकालकर अपनी सदस्यता खत्म नहीं कर दी है

20. **अस्थायी आहरण**

मंडल न्यासियों द्वारा मांगे गए प्रमाणों को प्रस्तुत करने के पश्चात निम्नलिखित परिस्थितियों में अस्थायी आहरण की स्वीकृति दे सकता है ।

1) क) कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य की बीमारी के संबंध में किए गए व्यय की अदायगी के लिए;

ख) निम्नलिखित मामलों में कर्मचारी के वास्तविक रूप में आश्रित किसी भी बच्चे के लिए उच्च शिक्षा का व्यय और जहाँ आवश्यक हो यात्रा खर्च वहन करने के लिए यथा;

i) हाई स्कूल स्तर के बाद भारत के बाहर शैक्षिक, तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक शिक्षा के लिए; और

ii) हाई स्कूल स्तर के बाद भारत में किसी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी या अन्य वृत्तिक, तकनीकी, व्यावसायिक या विशेषीकृत पाठ्यक्रम के लिए, बशर्ते पाठ्यक्रम का अध्ययन जो धर्म की अवधि से कम का नहीं है;

iii) विवाह, अंत्येष्टि या समारोह से संबंधित खर्च को करने के लिए, जो कर्मचारी को अपने धर्म के अनुसार करना अनिवार्य है ।

टिप्पण

उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए, परिवार का अर्थ है निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित है, यथा - कर्मचारी की पत्नी, वैध संतान, सौतेली संतान, माँ-बाप, अविवाहित बहनें और नाबालिग भाई ।

2) **विभिन्न प्रयोजनों के लिए आहरण की शर्तें**

i) नियम 28 में विनिर्दिष्ट व्ययों के मामले में आहरण की शर्तें ये होंगी :

विवाह : छह माह का मूल वेतन और महंगाई भत्ता या सदस्य का अंशदान ब्याज सहित इनमें से जो भी कम हो ।

अन्य प्रयोजन: छह माह की आधारिक मजदूरी और महंगाई भत्ता या सदस्य के अंशदान सहित ब्याज का आधा हिस्सा, इनमें से जो भी कम हो

ii) आहरित राशि को 24 से 48 किश्तों में ऐसे ब्याज और ऐसे ढंग से वापिस करना होगा जिसे समय-समय पर मंडल निर्धारित करेगा ।

iii) वापसी पेशगी पर अर्जित ब्याज "ब्याज उचंत लेखा" में जमा किया जाएगा ।

iv) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड पेशगी और ब्याज की किश्तें सदस्य की मजदूरी से वसूल करके निधि को अदा करेगा । पेशगी की वसूली, पेशगी देने के पश्चात सदस्य के पूर्ण माह के वेतन के आहरण के प्रथम अवसर पर प्रारंभ होगी, चाहे उसने उस राशि को लिया है या नहीं ।

vii) नियम 28 के अधीन आहरण को सदस्य के जमाराशि में अस्थायी कमी के रूप में माना जाएगा और उपखंड (iv) और (v) के अधीन की गई वसूलियों को सदस्य के खाते में जमा किया जाएगा ।

3. **दूसरा आहरण**

पहले आहरण की पूरी राशि वापिस करने के पूर्व दूसरे आहरण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

परन्तु यह कि अध्यक्ष विशेष कारणों के लिए पहले आहरण की कम-से-कम आधी राशि लौटाने के पश्चात दूसरे आहरण की स्वीकृति दे सकता है । ऐसे मामले में, पहले आहरण की अदत्त राशि को दूसरी आहरण की स्वीकृत राशि में से काट लिया जाएगा ।

4. **निकाली गई रकम का उपयोग**

i) सदस्य, जिसने उपबंधों के अनुसार कोई पेशगी रकम निकाली है, जैसा अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित, पेशगी के आहरण की तारीख से 2 माह के भीतर

इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि जिस प्रयोजन के लिए पेशगी रकम स्वीकृत की गई थी वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया गया है ।

ii) यदि निकाली गई रकम का उपयोग विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है, तो सचिव द्वारा अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से सदस्य के वेतन से निकाली गई रकम ब्याज सहित एक या अधिक किस्तों में वसूल करके, सदस्य के खाते में जमा कर दी जाएगी।

iii) यदि उपयोग नहीं किए गए नावापसी वाले आहरण पर दाण्डिक दर पर ब्याज वसूल किया जाता है तो सामान्य ब्याज सदस्य के खाते में जमा किया जाएगा और 2 प्रतिशत की दर से दाण्डिक ब्याज, ब्याज उचंत लेखा में जमा किया जाएगा ।

21. **सदस्यों या उनके प्रतिनिधियों को निधि से अदायगी**

जैसा इन नियमों में स्पष्टत: उपबंधित है उसके सिवाए न कोई सदस्य न उसकी ओर से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को निधि में उसके अंशदान या उसकी परिसंपत्तियों से, किसी प्रकार की रकम का दावा करने का हक नहीं होगा ।

22. **अंतरण और समनुदेशन के विरुद्ध निषेध**

कोई भी सदस्य निधि में जमा अपने अंश को या उसके खाते में जमा धनराशि के किसी भाग को, प्रतिभूति या अन्यथा रूप में अंतरित या समनुदेशित नहीं करेगा और ऐसा कोई भी अंतरण या समनुदेशन वैध नहीं होगा ।

22क. **निधि से अंतिम आहरण**

वे परिस्थितियाँ जिनमें निधि में संचित राशि सदस्य को देय है:-

(क) 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्ति के समय ।

परन्तु वह सदस्य, जिसने अपनी सेवा समाप्ति के समय 58 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, भी निधि में उसके खाते में जमा पूरी रकम को निकालने का हकदार होगा यदि वह अदायगी प्राधिकृत होने से पूर्व 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है ।

(ख) शारीरिक और मानसिक शैथिल्य के कारण कार्य के प्रति स्थायी और पूर्ण असमर्थता के कारण सेवानिवृत्ति के समय, जिसे राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का चिकित्सा अधिकारी सम्यक रूप से प्रमाणित करेगा या जहाँ इसके नियमित चिकित्सा अधिकारी नहीं है, स्थापना द्वारा नामनिर्दिष्ट पंजीकृत चिकित्सक करेगा ।

(ग) भारत में स्थायी रूप से विदेश में बसने के लिए या विदेश में रोजगार ग्रहण करने के लिए प्रवास के तत्काल पूर्व ।

(घ) सामूहिक या वैयक्तिक छँटनी के कारण सेवा की समाप्ति पर ।

(ङ) नियोजक और कर्मचारियों द्वारा आपसी करार के अधीन तैयार सेवानिवृत्ति की स्वैच्छिक योजना के अंतर्गत सेवा समाप्ति पर । इस करार में अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (00) के उपखंड (क) में स्वैच्छया निवृत्तियों को "छंटनी" की परिभाषा की परिधि से अलग रखा गया है, इसके होते हुए भी, ऐसी स्वैच्छया निवृत्तियों को, पार्टियों की आपसी सहमति से इस प्रयोजन के लिए छंटनी के समान ही समझा जाएगा ।

2. न्यासी मंडल सदस्य को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का कर्मचारी न रह जाने की स्थिति में, निधि में उसके खाते में जमा पूरी राशि को निकालने के लिए स्वीकृति दे सकता है बशर्ते कि वह आहरण के आवेदन की तारीख से ठीक पहले, किसी ऐसी फैक्टरी या अन्य स्थापना में दो साल से अधिक की निरंतर अवधि के लिए नियोजित नहीं रहा हो जिसमें यह योजना लागू होती हो । दो साल की प्रतीक्षा कालावधि की शर्त, तथापि, उन महिला सदस्यों के मामले में लागू नहीं होगी जो विवाह करने के प्रयोजन से स्थापना की सेवा से त्यागपत्र देंगी ।

23. **अदायगियाँ**

(1) जब सदस्य के नाम जमा राशि देय हो जाए न्यासी मंडल का यह कर्तव्य होगा कि वह, इस नियम के अनुसार, अदायगी शीघ्र करवाए । न्यासी मंडल सदस्य के खाते को बंद करके, जिस व्यक्ति को यह राशि देय होगी, उसे लिखित

सूचना जिसमें देय राशि और की जाने वाली अदायगी को विनिर्दिष्ट किया जाएगा । ऐसे मामले में, जहाँ इस नियम के अनुसार कोई नामिती नहीं है या नियम 23 (ख) के अधीन इस राशि को प्राप्त करने के लिए कोई हकदार नहीं है, तो न्यासी मंडल, यदि निधि में जमा रकम 20,000/- रुपए से अधिक नहीं है और जाँच के पश्चात न्यासी मंडल दावेदार के हक से सतुष्ट है, तो दावेदार को अदायगी कर सकता है ।

(2) यदि देय राशि का कोई भाग विवादग्रस्त या संदेहास्पद है, तो न्यासी मंडल राशि के उस भाग का तत्काल भुगतान करेगा जो विवादग्रस्त या संदेहास्पद नहीं है और शेष राशि का शीघ्रातिशीघ्र समायोजन करेगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन किसी रकम की अदायगी करनी है, वह पागल है और उसके लिए भारतीय पागलपन अधिनियम (1912 का 4) के अधीन सपदा प्रबंधक की नियुक्ति की गई है, तो ऐसे प्रबंधक को रकम की अदायगी की जाएगी । यदि ऐसा कोई प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया है, तो पागल व्यक्ति के नैसर्गिक संरक्षक को अदायगी की जाएगी और ऐसे नैसर्गिक संरक्षक की अनुपस्थिति में, उस व्यक्ति को अदायगी की जाएगी जिसे अदायगी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी(जब रकम 20,000/-रुपए से अधिक न हो) या न्यासी मंडल का अध्यक्ष (यदि रकम 20,000/-रुपए से अधिक हो) पागल व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले को उचित व्यक्ति समझे और अदा की गई रकम की उक्त व्यक्ति की रसीद अदायगी का पर्याप्त रूप से उन्मोचन का प्रमाण होगा ।

(4) यदि कोई व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन किसी रकम की अदायगी करनी है, वह नाबालिग है और जिसकी संपदा के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890(1890 का 8) के अधीन

संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो अदायगी संरक्षक को की जाएगी । जब संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अधीन किसी संरक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है तो नियम 9 के उप०नियम (ड.) के अधीन नियुक्त संरक्षक, यदि कोई हो, को अदायगी की जाएगी । जहाँ संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8) या नियम 9 के उप-नियम (ड.) के अधीन संरक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है तो अदायगी नैसर्गिक संरक्षक को की जाएगी और नैसर्गिक संरक्षक की अनुपस्थिति में, उस व्यक्ति को अदायगी की जाएगी जिसे अदायगी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी (जब रकम 20,000/-रुपए से कम हो) या न्यासी मंडल का अध्यक्ष(यदि रकम 20,000/-रुपए से अधिक हो) नाबालिग का प्रतिनिधित्व करने वाले को उचित व्यक्ति समझे और अदा की गई रकम की उस व्यक्ति की रसीद, अदायगी का पर्याप्त रूप से उन्मोचन का प्रमाण होगा ।

(5) यदि न्यासी मंडल के यह ध्यान में लाया जाता है कि मृत सदस्य की मरणोत्तर संतान पैदा होने वाली है तो संतान के जीवित पैदा होने की दशा में वह पैदा होने वाली संतान को देय राशि को रोक लेगा और शेष राशि को वितरित कर देगा । यदि उसके बाद कोई संतान पैदा नहीं होती है या मृतजात शिशु होता है, तो रोकी गई रकम नियम 23 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार वितरित कर दी जाएगी ।

(6) i) ऐसे सदस्य के संबंध में नियोजक से प्राप्त छुट्टी मजदूरी/वेतन का बकाया, बकाया अंशदान की

किश्त की रकम का अतिरिक्त अंशदान, जिसके दावे का लेखागत निपटारा किया जा चुका है लेकिन जिसे इस रकम को उसके नवीनतम पते के अभाव में नहीं भेजा जा सका; या

ii) किसी भी ऐसे सदस्य के संबंध में जमा रकम जो या तो नियोजित नहीं रहा है या जिसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन जिस तारीख से यह रकम देय है उस से तीन वर्ष की अवधि के भीतर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, या कोई रकम जो व्यक्ति को भेजी गई थी वह अवितरित रूप में वापस प्राप्त हो गई है, और जिस तारीख से यह रकम देय है इसका पुनः दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो ऐसी रकम को "अदावाकृत जमा लेखा" नाम लेखे में अंतरित किया जाएगा ।

परन्तु यह कि उक्त जमा राशि की अदायगी के लिए दावा प्रस्तुत किया जाता है, तो रकम की अदायगी "अदावाकृत जमा लेखा" के नामे डालकर की जाएगी ।

23 क. <u>सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर अदायगी</u>

जब सदस्य के नाम जमा रकम देय होने से पूर्व या जब रकम देय है लेकिन अदायगी करने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है:

(क) यदि नियम के अनुसार सदस्य द्वारा किया गया नामांकन विद्यमान है, तो निधि में उसके नाम जमा रकम या रकम का वह भाग जिससे नामांकन संबंधित हैं, उसके नामिती या नामितियों को ऐसे नामांकन के अनुसार देय हो जाएगी ।

(ख) यदि कोई नामांकन विद्यमान नहीं है या निधि में सदस्य के नाम जमा रकम के किसी भाग से नामांकन संबंधित है, तो पूरी रकम या उसका

भाग जिससे नामांकन संबंधित नहीं है, यथास्थिति उसके परिवार के सदस्यों में समान अंश में देय हो जाएगा ।

परन्तु यह कि निम्नलिखित को कोई अंश देय नहीं होगा :-

i) पुत्र जो वयस्क हो गए हैं;
ii) मृत पुत्र के पुत्र जो वयस्क हो गए हैं;
iii) विवाहित पुत्रियाँ जिनके पति जीवित हैं;
iv) मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं ।

यदि खंड (i), (ii), (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न परिवार में कोई सदस्य है:

परन्तु यह और कि मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और बच्चा या बच्चों के बीच में उस अंश का एक समान भाग ही वितरित किया जाएगा जो मृत पुत्र को प्राप्त होता यदि वह सदस्य की मृत्यु के समय जीवित होता और उसने उस समय वयस्कता की आयु प्राप्त न की होती ।

(ग) किसी भी मामले में, जिसमें खंड (क) और (ख) के उपबंध लागू नहीं होते तो संपूर्ण रकम उस व्यक्ति को देय होगी जो इसके लिए विधितः हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण

इस नियम के प्रयोजन के लिए सदस्य की मरणोत्तर संतान, यदि जीवित पैदा होती है, तो उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा जैसा सदस्य की मृत्यु से पूर्व जीवित संतान के साथ किया जाता ।

24. **निधि में पड़ी जब्त (forfeited) रकम का उपयोग**

(1) निधि में पड़ी जब्त रकम का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है:-

(क) सदस्यों के खाते में ब्याज की उच्च दर बनाए रखने के लिए कम से कम भारत सरकार द्वारा घोषित उस ब्याज की दर के बराबर जो छूट अप्राप्त स्थापना के लिए होती है;

(ख) मृत्यु राहत निधि के संचालन के लिए;

(ग) प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री/मोचन के कारण निधि में होने वाली पूंजीगत हानि को पूरा करने के लिए;

(घ) सदस्यों या मृतक के परिवार के सदस्यों के दावों के निपटान के फलस्वरूप भविष्य निधि के भेजने के संबंध में मनीआर्डर कमीशन का व्यय पूरा करने के लिए;

परन्तु यह कि जहाँ मनीआर्डर से भेजी जाने वाली भविष्य निधि की रकम 500/-रूपए से अधिक होगी तो उसे पाने वाले के खर्च पर भेजा जाएगा ।

(ङ) मृत सदस्य के उत्तराधिकारियों को सहायता के रूप में 500/-रूपए की तत्वर्थ अदायगी करने के लिए जिससे वे उत्तराधिकार/संरक्षकता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सके ।

(2) मृत्यु राहत निधि का गठन जब्त रकम के एक भाग को अंतरित करके किया जाएगा । मृत्यु राहत निधि से 2000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी ।

(3) कोई व्यक्ति जो इस नियम के अधीन अदायगी का दावा करना चाहता है, वह न्यासी मंडल को लिखित आवेदन-पत्र भेजेगा, जो अदायगी पाने वाले व्यक्ति के विकल्प पर, अदायगी करेगा;

(i) मनी आर्डर द्वारा; या

(ii) किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी बैंक (नगरीय सहकारी बैंकों को मिलाकर) या किसी डाकखाने में पाने वाले के खाते में जमा करके; या

(iii) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में वार्षिकी सावधिक जमा योजना के रूप में पूर्ण या आंशिक रकम को पाने वाले के नाम में जमा करके; या

(iv) नियोजक के जरिए; या

(v) आदाता लेखा चैक/माँग ड्राफ्ट को डाक द्वारा भेजकर ।

"परन्तु यह कि जहाँ मनीआर्डर से भेजी जाने वाली भविष्य निधि की रकम 500 रुपए से अधिक होगी तो उसे पाने वाले की लागत पर भेजा जाएगा ।"

25. **आयकर कटौती**

न्यासी मंडल या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आयकर अधिनियम के अध्याय XVII-बी के उपबंधों के अनुसार आयकर की कटौती सदस्यों को देय संचित जमा रकम की उस अदायगी से की जाएगी जिसे आयकर से छूट प्राप्त नहीं है और जिसे आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 या 18 के अधीन कुल आय में सम्मिलित किया जाना है ।

26. **कुर्की से संरक्षण**

(1) निधि में सदस्य के नाम जमा रकम किसी भी तरीके से समनुदेशित या प्रभारित नहीं की जाएगी और सदस्य द्वारा लिए गए किसी ऋण या उपगत देयता के संबंध में किसी न्यायालय की डिग्री या आदेश से कुर्क नहीं की जा सकेगी और न तो प्रेसीडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 के अधीन नियुक्त शासकीय समनुदेशितियों का और न ही प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन नियुक्त किसी रिसीवर का ऐसी जमा रकम पर दावे करने का हक होगा ।

(2) सदस्य की मृत्यु के समय निधि में उसके नाम जमा रकम जो इन नियमों के अधीन उसके नामिती को देय है, उक्त नियमों द्वारा प्राधिकृत कटौतियों के अध्यधीन, नामिती में निहित होगी और सदस्य की मृत्यु से पूर्व मृतक या नामिती द्वारा लिए गए किसी ऋण या अन्य उपगत देयताओं से मुक्त होगी ।

(3) चोरी, सेंधमारी, गबन, दुर्विनियोग या अन्य किसी कारण से निधि को होने वाली किसी भी हानि को पूरा करने के लिए नियोजक निधि का समुचित बीमा करवाएगा ।

27. **नियमों में परिवर्तन या संशोधन**

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के निदेशक मंडल के पूर्व अनुमोदन के बिना इस योजना को परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जाएगा ।

28. **भविष्य निधि संचित जमा रकमों को अन्य भविष्य निधियों में अंतरित करना**

(1) जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है और पुनः नौकरी एक ऐसी स्थापना में कर लेता है जहाँ भविष्य निधि योजना चालू है, तो उसके खाते में जमा रकम को उस स्थापना के भविष्य निधि में अंतरित कर दिया जाएगा जहाँ उसने पुनः नौकरी कर ली है । यदि कर्मचारी ऐसा करना चाहता है और उक्त भविष्य निधि से संबंधित नियमों में ऐसा करने की अनुमति है ।

(2) जब कर्मचारी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में नौकरी शुरू करता है तो न्यासी मंडल उसके द्वारा छोड़ी गई स्थापना में उक्त कर्मचारी की भविष्य निधि में जमा रकम को स्वीकार कर लेगा, यदि कर्मचारी ऐसा करना चाहता है और उक्त भविष्य निधि से संबंधित नियमों में ऐसा करने की अनुमति है ।

29. **ब्यौरा संबंधी मार्गदर्शन**

न्यासी मंडल, समय-समय पर, ऐसे मामलों पर जिनके संबंध में मानकों और ब्यौरों को स्पष्ट किया जाता है उनके संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए आदेश निकाल सकता है और ऐसा प्रत्येक मानक या मार्गदर्शी सिद्धांत संबंधी आदेश इन विनियमों का भाग समझा जाएगा ।

30. **विशेष परिस्थितियों में छूट**

अध्यक्ष जहाँ, किसी विशेष मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस बात से संतुष्ट हो कि किसी भी नियम को लागू करने से असम्यक कष्ट पैदा होगा, किसी सदस्य या वर्ग के सदस्यों के बारे में किसी भी नियम को शिथिल या उपांतरित कर सकता है ।

31. **निर्वचन**

यदि निर्वचन या संदेह के कारण इस योजना के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो ऐसे मामले को अध्यक्ष को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

वी. कुरियन, अध्यक्ष
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

अनुबंध : क

घोषणा पत्र

(नियम सं0 7 (ग) देखें)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना पढ़ लिया है/मुझे पढ़कर समझा दिया गया है तथा मैंने उन्हें समझ लिया है । मैं एतद्द्वारा हस्ताक्षर करता हूँ तथा उनसे सम्मत के लिए बाध्य हूँ ।

दिनांक----------दिन----------19---------- ।

पूरा नाम तथा पता----------

जन्म तिथि----------नियुक्ति का स्वरूप----------

सेवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि----------

वर्त्तमान वेतन : (i) मूल----------

(ii) महंगाई----------

साक्षी----------

हस्ताक्षर :

(1) नाम----------

पता:----------

कर्मचारी के हस्ताक्षर/लाए गए
बाएं हाथ के अंगूठे की छाप

आवेदक को सदस्य के रूप में भर्ती किया जा सकता है ।

हस्ताक्षर

अनुलग्नक "ग"

प्रतिष्ठान में नियोजन लेते समय व्यक्ति द्वारा घोषणा

(नियम सं० 8 देखें)

मैं,------------------------पु/प/पुत्री-----------------------------

(नाम)

एतद्‌द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं हूँ/ मैं नहीं हूँ*

(क) कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य हूँ;

(ख) छूट प्राप्त प्रतिष्ठान/योजना के पैरा 79 के अंतर्गत छूट प्रदान प्रतिष्ठान के निजी भविष्य निधि का सदस्य हूँ तथा ऐसी छूट के न होने पर कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य हूँ तथा ऐसी छूट के न होने पर कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बन गया होता एवं निरंतर सदस्य बना रहता।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 27/27 क के अंतर्गत छूट प्राप्त कर्मचारी हूँ तथा परन्तु ऐसी छूट के न होने पर कर्मचारी भविष्य निधि का सदय बन गया होता तथा निरंतर सदस्य रहता।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ मैं नियोजित नहीं था*/मैं मैसर्स में---

(प्रतिष्ठान का नाम तथा पूरा पता)

नियोजित था जो कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत आने वाला प्रतिष्ठान है। इसके अंतर्गत न आने वाला प्रतिष्ठान है। कोई अन्य प्रतिष्ठान है। मेरा भविष्य निधि लेखा सं० है/था ---------------------------------।

मैं आगे यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने * निधि में अपने खाते में जमा कुल राशि वापस ले ली है/ वापस नहीं ली है ।

तिथि----------** कर्मचारी के हस्ताक्षर या दाएं/ बाएं हाथ के अंगूठे की छाप

वर्त्तमान नियोक्ता के हस्ताक्षर

(नियोक्ता द्वारा तब ही भरा जाए जब नियोजित व्यक्ति कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है ।)

श्री----------को ----------
(कर्मचारी का नाम) (नियुक्ति की तिथि)
से----------में----------
(प्रति/फैक्टरी का नाम) (पद)
के रूप में नियुक्त किया गया है ।

नियोजन के विवरण

से	तक	काम किए गए दिनों की संख्या

कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश की तिथि----------

तिथि----------नियोक्ता के हस्ताक्षर----------

अनुबंध "ग"
(क तथा घ का नियम देखें)

बिना छूट प्राप्त/छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिये नामांकन तथा घोषणा प्रपत्र

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1995 के अंतर्गत घोषणा तथा नामांकन प्रपत्र:

---

1. नाम(साफ अक्षरों में):----------
2. जन्मतिथि :----------
3. खाता सं० :----------

मेरी मृत्यु होने पर रा डे वि बोर्ड भविष्य निधि योजना, 1995 में मेरे खाते में जमा राशि को प्राप्त करने के लिए मैं निम्नलिखित व्यक्ति(यों) को नामित करता हूँ/पूर्व मे मेरे द्वारा नामित व्यक्तियों का नाम रद्द करके निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करता हूँ:

नामित/ नामितो का नाम	पता	सदस्यों से नामितों का संबंध	नामितो की आयु	प्रत्येक नामित व्यक्ति को भविष्य निधि जमा में से देय कुल राशि का हिस्सा	यदि नामित नाबालिग है, संरक्षक का नाम तथा पता जिसे नामित की नाबालिग अवधि के दौरान राशि मिलेगी
1	2	3	4	5	6

1. *प्रमाणित किया जाता है कि रा डे वि बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1995 में परिभाषित अनुसार मेरा कोई परिवार नहीं है तथा इसके बाद यदि मैं परिवार प्राप्त करता हूँ तो उपर्युक्त नामांकन को रद्द समझा जाए

2. *प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पिता/माता मेरे ऊपर आश्रित हैं ।

( ) जो लागू न हो उसे काट दें ।

अंशदाता के हस्ताक्षर/या अंगूठे की छाप

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----------
जो कि मेरे प्रतिष्ठान में नियोजित है उसने प्रविष्टियों पढ़ने के बाद/उन्हें प्रविष्टियों पढ़कर सुनाने के बाद तथा उनकी पुष्टि के बाद उपर्युक्त घोषणा तथा नामांकन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए हैं/अंगूठे की छाप लगाई है ।

नियोक्ता के हस्ताक्षर या प्रतिष्ठान
के अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान---------- पद----------
दिनांक---------- फैक्टरी/प्रतिष्ठान का नाम तथा पता या उसकी रबड़ की मोहर

टिप्पणी: आप किसे नामित कर सकते हैं:

(क) *रा०डे०वि०बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1995 के अंतर्गत*

(1) ई पी एफ का विवाहित सदस्य तथा/या उसके पिता/माता उस पर आश्रित हैं वह नीचे परिभाषित अपने परिवार के किसी एक या अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकता है ।

(क) पुरुष सदस्य के मामले में, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके आश्रित माता पिता तथा उसके मृत पुत्र की विधवा तथा बच्चे;

(ख) महिला सदस्य के मामले में, उसका पत्नी, उसके बच्चे, उसके आश्रित माता पिता, उसके पति के आश्रित माता पिता, उसके मृत पुत्र की विधवा तथा बच्चे ।

(2) यदि सदस्य का कोई परिवार नहीं है, या वह कुवांरा है तो नामांकन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, चाहे उससे संबंधित हों या नहीं अथवा किसी संस्था के नाम पर भी किया जा सकता है । यदि सदस्य बाद में परिवार अर्जित कर लेता है तो यह नामांकन तुरंत अवैध हो जाएगा तथा सदस्य को अपने परिवार के एक या अधिक व्यक्तियों के नाम पर नया नामांकन करना होगा ।

अनुबंध : " घ "

स्वैच्छिक योगदान के लिए आवेदन प्रपत्र
(नियम 18 (ख) देखें)

आवेदन की तिथि : _____

1 कर्मचारी का नाम : _____
2 विभाग/अनुभाग : _____
3 खाता सं. यदि है : _____
लैजर सं. : _____
4 वर्तमान दर : _____
(क) मूल वेतन : _____
(ख) महंगाई भत्ता : _____
5 योगदान की वर्तमान दर : _____
6 योगदान की प्रस्तावित दर : _____
7 स्वैच्छिक योगदान के कारण अंतर : _____
8 तिथि जिससे यह योगदान किया जाना प्रस्तावित है: _____
9 पता : _____

हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

स्वैच्छिक योगदान _____ पर अनुमति दी गई।

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD STAFF PROVIDENT FUND SCHEME, 1995

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 1996

No. DEL : NDDB—In exercise of the powers conferred by Sec. 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Board of Directors in accordance with Sec. 22(5) of the said Act hereby makes the following regulations, namely :—

1. **TITLE**

The Fund shall be called the "National Dairy Development Board Staff Provident Fund" and these rules shall be deemed to be applicable from 1-11-1995.

2. **DEFINITION**

In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) "Apprentice" means a learner or trainee who may be paid a stipend during the period of training.

(b) "Basic pay" means all emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave or on holiday with wages in either case in accordance with the terms of the contract of employment and which are paid or payable in cash to him, but does not include :—

(i) the cash value of any food concession;

(ii) any dearness allowance, (that is to say, all cash payments by, whatever name called paid to an employee on account of a rise in the cost of living), house rent allowance, overtime allowance, bonus, commission or any other similar allowance, payable to the employee in respect of his employment or of work done in such employment;

(iii) any presents made by the employers;

(iv) subsistence allowance drawn while under suspension.

(c) "Board" means the Board of Trustees of the Fund.

(d) "Children" means legitimate children and includes adopted children; if the Board of Trustees is satisfied that under the personal law of the member adoption of a child is legally recognised.

(e) "Chairman" means the Chairman of the National Dairy Development Board.

(f) "Continuous Service" for the purpose of this Scheme, means uninterrupted service by the member under the National Dairy Development Board and includes service which is interrupted by Sickness, Accident, Authorised leave, Strike which is not illegal or cessation of work not due to the Employee's fault.

(g) "Employes" means the National Dairy Development Board.

(h) "Employee" means, any person who is employed for wages in any kind of work manual or otherwise, in or in connection with the work of the NDDB and who gets his wages directly or indirectly from the employer and includes any person, (i) employed by or through a Contractor in or in connection with the work of the establishment; (ii) engaged as an apprentice, not being an apprentice engaged under the Apprentice Act 1961 or under the standing orders of the establishment.

(i) "Family" means:—

(i) In the case of a male member, the wife, children whether married or unmarried, and dependent parents of the member and the widow and children of a deceased son of the member.

Provided that if a member proves that his wife has ceased, under the personal law governing him or the customary law of the community to which the spouses belong, to be entitled to maintenance, she shall no longer be deemed to be a part of the member's family for the purpose of these rules unless the member subsequently intimates by express notice in writing to the 'Board of Trustees' that she shall continue to be so regarded; and

(ii) In the case of female member, her husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents, her husband's dependent parents and her deceased son's widow and children.

Provided that if a member, by notice in writing to the Board of Trustees expresses her desire to exclude her husband from the family, the husband and his dependent parents shall no longer be deemed to be a part of the member's family for the purpose of these Rules unless the member subsequently cancels in writing any such notice;

Explanation :—In either of the above two cases, if the child of a member (or as the case may be, the child of a deceased son of the member) has been adopted by another person and if, under the personal law of the adopter, adoption is legally recognised, such a child shall be considered as excluded from the family of the member.

(j) "Financial Year" means the period commencing on 1st of April and ending on 31st March.

(k) "Fund" means the Provident Fund established under this Scheme.

l) "Member" means an employee who is a subscriber to the Fund, and shall include such other persons to whom the NDDB staff Provident Fund Scheme may be extended.

m) "NDDB" means the National Dairy Development Board constituted by the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987).

n) "Nominee or Nominees" shall mean any person or persons nominated by the member in writing, to receive the amount or any share of the amount payable to the member from the Fund, in the event of member's death before the withdrawal of the said amount as per the Rules in Chapter - III.

o) "President" means the President of the Board of Trustees of the Fund.

p) "Secretary" means Secretary of the Trust.

q) "Scheme" means "NDDB Staff Provident Fund Scheme".

r) "Trustee" means and includes the Trustees of the Fund for the time being.

3. ESTABLISHMENT OF THE FUND :

1) There shall be established a fund to be called the National Dairy Development Board Staff Provident Fund Scheme,1995. The Fund shall be vested in the Board of Trustees under the existing instrument of Trust which shall not be revocable save with the consent of all the beneficiaries.

2) The fund shall consist of -

(a) subscriptions and accumulations thereof.

(b) contributions and accumulations thereof.

(c) accumulated balance to the credit of each member under the National Dairy Development Board Staff Provident Fund Scheme.

(d) interest credited in respect of such subscriptions, contributions, accumulations and accumulated balance.

(e) the balances credited to the Fund under Regulation 10, and

(f) capital gains arising out of the assets of the Fund.

3A. BOARD OF TRUSTEES TO ADMINISTER FUND :

1) The Fund shall be administered by the NDDB through a Board of Trustees consisting of the following :-

(a) a President to be appointed by the NDDB.

(b) Representatives of the NDDB, subject to a minimum of 2 and maximum of 5, to be appointed by the NDDB.

(c) Representatives of the employees, subject to a minimum of 2 and maximum of 5, to be appointed by the President.

Provided that the number of Trustees on the Board shall be not less than five and not more than twelve.

Also provided that the number of representatives of the NDDB and the representatives of the employees shall be equal.

2) The term of office of every trustee shall be three years, commencing from the date of appointment and shall continue thereafter till his successor takes office.

3) The Board of Trustees shall by its resolution appoint one of the members appointed as Trustees to be the Secretary of the Fund. The Secretary shall have the assistance of such staff as the NDDB may from time to time determine, and it shall be the duty of the Secretary to convene meetings, keep records thereof, take necessary steps to ensure maintenance of accounts in a proper way and to carry out the decisions of the Board.

4) Any employee of the NDDB who is a member of the Fund for not less than 2 years and who is not less than 21 years of age may be appointed as a Trustee.

An outgoing Trustee shall be eligible for re-appointment in the manner hereinbefore provided.

5) A person shall be disqualified for being a Trustee of the Board :

i) if he is declared to be of unsound mind by a Competent Court, or

ii) if he has been convicted of an offence involving moral turpitude, or

iii) is an undischarged insolvent or

6) In the event of a Trustee(s) ceasing to be a Trustee during the tenure of the Board, his successor shall be appointed in the manner hereinbefore provided.

Provided that the Trustee(s) so appointed shall hold office for the unexpired term of the Board of Trustees.

7) A Trustee ceases to be a Trustee on the Board, if he -

i) Ceases to be an employee of the NDDB; or

ii) ceases to be a member of the Scheme; or

iii) incurs any of the disqualifications mentioned in the Rule 3.5; or

iv) fails to attend three consecutive meetings of the Board without obtaining leave of absence from the President of the Board of Trustees, provided that the President of the Board of Trustees may restore him to Trusteeship if he is satisfied that there were reasonable grounds for such absence; or

vi) being appointed by the NDDB, his appointment is withdrawn by the NDDB.

8) In cases of any dispute or doubt the matter shall be referred to the Managing Director/Chairman, NDDB, whose decision shall be final.

4. APPOINTMENT OF NEW TRUSTEE OR TRUSTEES :

A Trustee of the Board may resign his office by a letter in writing addressed to the President, Board of Trustees, and his office shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by the Board of Trustees.

The vacancy so caused in the Board shall be filled in accordance with the provisions of Rule 3 above and on every such appointment the Fund shall vest in the continuing and the new Trustees. Such Trustees shall hold office upto the end of the term of the other Trustees of Board.

5. CONTROL OF THE FUND :

1) The Board of Trustees shall have the entire control of the Fund and shall delegate powers to the Trustees or officials of the establishment for performance of various functions on its behalf under these rules and for the purpose may issue such guidelines as they may deem fit. The Board shall also decide all differences and disputes which may arise under these rules either as to the interpretation thereof or as to the right and obligations of the establishment and/or of the members and the decision of the majority of the President shall be in all cases final and binding on all the parties concerned. In the event of an equality of votes the Chairman shall have a casting vote. If any such decision of the board be deemed prejudicial to the interest of the members, the matter shall be referred to the Chairman/Managing Director, NDDB, whose decision shall be final.

2) The Board of Trustees may remove from office any Trustee of the Board if in its opinion such Trustee or member has ceased to represent the interest which he purports to represent on the Board;

Provided that no such Trustee shall be removed from the office unless a reasonable opportunity is given to such Trustee, of making any representation against the proposed action.

3) i) The costs, charges and expenses of administering the Fund including maintenance of accounts, audit, submission of returns, and transfer of Provident Fund accumulations and bank charges shall be borne by the National Dairy Development Board.

ii) The NDDB shall make good any other loss that may be caused to the Fund due to theft, burglary, default, misappropriation or any other reason.

MEETINGS

1) The Board of Trustees shall meet at such place and at such time as may be determined in this behalf by the President. The President may, whenever he thinks fit, and shall, within 7 days of the receipt of the requisition in writing from not less than three Trustees call a meeting of the Board.

2) At least seven clear days' notice of every meeting shall be given to all the Trustees and such notice shall set out the date, time and place of the meeting and a list of business to be transacted thereat;

Provided that when the President calls a meeting for consideration of any matter which in his opinion is urgent, any shorter notice given by the President and considered by him to reasonable shall be deemed to be sufficient for the purpose of this Scheme.

3) The President will preside every meeting of the Board. In his absence, the Trustees shall elect one of their members to preside over the meeting.

6B. QUORUM AND PROCEDURE AT THE BOARD MEETING

1) No business shall be transacted at any meeting of the Board unless there are present at such meeting at least three Trustees of whom one shall be a trustee appointed under clause (b) and one shall be a trustee appointed under clause (1)(c) of regulation (3).

2) If at any meeting the number of Trustees present is less than the requisite quorum, the President shall adjourn the meeting informing the Trustees of the time and place of the adjourned meeting and it shall thereupon, be lawful to dispose of the businee at such adjourned meeting irrespective of the number of Trustees present and whether atleast one trustee appointed under clause (1)(b) and one trustee appointed under clause (1)(c), of regulation (3) are present or not.

3) Every question considered at a meeting of the Board shallbe decided by a majoirty of votes of the Trustees present and voting, the Present shall have a second or casting vote.

4) No act or proceedings of the Board shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy or any defect in the constitution of the Board or in the appointment of the

President or any Trustee.

5) The Secretary shall cause the minutes of the proceedings of all the meetings of the Board of Trustees and of all circular resolutions to be duly entered in a minut ebook to be maintained for the purpsoe. All such minutes shall be signed by the President of the meeting or in his absence by the Present of the next meeting. All minutes purporting to have been so signed shall for all purposes whatsoever be prima facie evidence of the proceedings recorded therein and of the fact that the meeting was duly and regularly convened and held and all proceedings thereat had taken place.

7. MEMBERSHIP OF THE FUND :

(a) Every employee employed in or in connection with the work of NDDB, shall be entitled and required to become a member of the Fund from the date of joining NDDB.

(b) Every employee on becoming a member shall remain and continue to be a member until he withdraws his Provident Fund accumulations in full from the Fund.

The membership of the Fund shall be deemed to have been terminated from the date the payment is authorised under Rule 22 to him by the Trustees irrespective of the date of claim.

(c) Every employee shall on becoming a member sign a declaration in the form set out in Annexure "A". Absence of such declaration will not, however, invalidate his membership.

(d) Every employee shall become a member of the Fund from the date of his joining the NDDB provided he was previously a member of a Fund in respect of exempted establishment or of a Fund established under the Employees' Provident Fund Scheme 1952 and he did not withdraw his Provident Fund accumulations.

(e) If any question arises whether an employee is entitled or required to become or continue as member or as regards the date from which he is so entitled or required to become a member the decision thereon of the Chairman/MD, NDDB shall be final.

8 . DECLARATION BY PERSON TAKING UP EMPLOYMENT AFTER THE FUND HAS BEEN ESTABLISHED :

The NDDB shall before taking any person into employment ask him to submit declaration in the form prescribed in Annexure "B".

9. NOMINATION :

a) Every member shall as soon as may be after joining the Fund make a nomination in the form set out in Annexure "C", conferring the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death before the amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable before payment has been made.

b) A member may in his nomination distribute the amount that may stand to his credit in the Fund amongst his nominees at his own discretion. If a member has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be in favour of one or more person belonging to his family. Any nomination made by such member in favour of a person not belonging to his family shall be invalid.

c) If at the time of making a nomination the member has no family, the nomination may be in favour of any person or persons but if the member subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith be deemed to be invalid and the member shall make a fresh nomination in favour of one or more persons belonging to his family.

d) A nomination may at any time be modified by a member after giving written notice of his intention of doing so, in the prescribed form as shown in Annexure "C". If the nominee predeceases the member, the interest of the nominee shall revert to the member who may make a fresh nomination in respect of such interest.

e) Where the nomination is wholly or partly in favour of the minor, the member shall name the major person of his family as defined in Clause (n) of Rule 2, to be the guardian of the minor nominee in the event of member predeceasing the nominee and the guardians so appointed.

Provided that where there is no major person in the family, the member may at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee.

f) A nomination or its modification shall take effect to the extent that it is valid on the date on which it is received by the Board of Trustees.

g) A member may also provide in a nomination -

(a) that in the in the event of any specified nominee predeceasing the member, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination;

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein.

10. CONTRIBUTION BY MEMBERS :

(a) Every member shall subscribe to the Fund every month a sum equal to 10% of the total of his monthly basic pay, DA for the time being payable to each of the employees or at such rates as may be determined by the Chairman, NDDB from time to time, and the employees' contribution shall be equal to the contribution payable by the employer in respect of him.

(b) Every member contributing to the Provident Fund under sub-rule (a) herein may, if he so desires, contribute

voluntarily to the Provident Fund an amount exceeding 10% of his total monthly basic pay and DA on submission of an application in the form set out in Annexure "D".

(c) Each monthly contribution to the Fund shall be calculated to the nearest ru$ee, 50 paise or more shall be counted as the next higher rupee and any fraction of rupee less than 50 paise shall be ignored.

(d) The establishment shall every month deduct from the emoluments of the members, such sum as may be required under sub-rule (a) & (b) herein and shall transfer not later than 15th day of the following month to the Board of Trustees. The money so deducted shall be credited to the member's individual account.

(e) No subscription shall be recovered from an employee for such period as he is absent from duties without pay.

(f) In case of an employee required to be a member of the "NDDB Employees Family Pension Scheme" from and out of the contributions payable by the employer and the employee in each month under sub-rule (a) and (b) above, representing such rate of the employee's pay as the Chairman/Managing Director, NDDB may decide alongwith an equivalent amount from and out of the employer's contribution, shall be remitted by the employer to the Family Pension Fund in the manner as may be specified in this behalf by the Chairman/Managing Director, NDDB.

(g) The rate of an employee's pay under sub-rule (a) shall be calculated to the nearest rupee; 50 paise and more being rounded to next higher rupee and fraction of rupee less than fifty paise should be ignored.

11. EMPLOYER'S CONTRIBUTION TO THE FUND :

(a) The employer shall not later than the fifteenth day of the succeeding month, in respect of each of the members of the Fund, pay to the Trustees as employer's contribution to the Fund a sum equal to the total of the member's compulsory contribution under Rule 10 (a) hereinbefore, the employer's contribution shall be credited to the member's individual account. The employer shall not be liable to make any contribution in respect of the voluntary contribution, if any, made by the member to the Provident Fund under Rule 10(b) hereinbefore.

(b) The contributions shall be calculated on the basis of the basic wages. dearness allowance (including the cash value of any food concession) and retaining allowance (if any) actually drawn during the whole month whether paid on weekly, fortnightly or monthly basis.

11A. PAYMENT OF CONTRIBUTION :

(i) The employer shall in the first instance pay both the employer's contribution payable by himself and the member's

contribution of the member employed by him directly or by or through a contractor, the contribution payable by such member (in the Rules referred to as the member's contribution).

(ii) In respect of employees employed by or through a contractor, the contractor shall recover the contribution payable by such employees (in this Rule referred to as the member's contribution) and shall pay to the principal employer the amount of member's contribution so deducted together with an equal amount of contribution (in this Rule referred to as the employer's contribution) and also inspection charges.

(iii)It shall be the responsibility of the employer to pay both the contributions payable by himself in respect of the employees directly employed by him and also in respect of the employees employed by or through a contractor and also inspection charges.

11B. EMPLOYER'S SHARE NOT TO BE DEDUCTED FROM THE MEMBERS :

Notwithstanding any contract to the contrary the employer shall not be entitled to deduct the employers' contribution from the wage of a member or otherwise to recover it from him.

11C. RECOVERY OF A MEMBER'S SHARE OF CONTRIBUTION :

(i) The amount of member's contribution paid by the employer (or a contractor) shall, notwithstanding the provisions in this Rule or any law for the time being in force or any contract to the contrary,be recoverable by means of deduction from the wages of the member and not otherwise.

Provided that no such deduction may be made from any wage other than that which is paid in respect of the period or part of the period in respect of which the contribution is payable.

Provided further that the employer or contractor shall be entitled to recover the employee's share from a wage other than that which is paid in respect of the period for which the contribution has been made or is payable where the employee has in writing given a false declaration at the time of joining service with the employer or a contractor that he was not already a member of the Fund.

Provided further that where no such deduction has been made on account of an accidental mistake or a clerical error, such deduction may,with the consent in writing of the Chairman, NDDB, be made from the subsequent wages.

(i) Deduction made from the wages of a member paid on daily,weekly or fortnightly basis should be totalled up to indicate the monthly deductions.

(ii) Any sum deducted by an employer or a contractor from the wages of an employee under this Rule shall be deemed to have been entrusted to him for the purpose of paying the contribution in respect of which it was deducted.

12. MEMBER'S ACCOUNT & ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNT :

(1) A separate account shall be maintained for each member containing the following details :-

i) the member's contribution;

ii) the contributions made by the National Dairy Development Board to the member's account;

iii) the interest or profit accruing to the member's account;

iv) the advance if any made to the member out of the Fund;

v) the repayments, towards advance made to the member.

(2) Every member shall be given an Annual Statement of Accounts within six months of the close of the year in which particulars mentioned hereinabove entered. The details in the Statement shall be final and binding on the members. However, errors if any in the Statement shall be notified by the member in writing within one month of the receipt of the same upon which the Board of Trustees may verify and rectify the same. A member of the Fund can inspect his account himself or to have the same inspected through any authorised person not more than twice a year on giving a notice of one week to this effect.

13. BANKERS OF THE FUND :

(1) The Bankers of the Fund shall be the Bank of Baroda, Anand or such other scheduled Bank that may be selected by the Board of Trustees from time to time and all moneys including employer's and employees contribution, shall be paid into the Fund's Saving Bank account with the said Bank/Banks. Withdrawals from this account shall be by cheques which shall in respect of each cheque, be signed by two Trustees, one of whom must be the nominee of the President.

(2) Any two Trustees authorised by the Board of Trustees, one of them being nominee of the President, shall on behalf of the Board of Trustees operate the accounts of the Bank and discharge, receive or otherwise dispose of as may be necessary Government Promissory notes, Securities, Interest Warranty, etc. relating to the Fund and shall on behalf of the Board reassign to the members in accordance with the relevant rules, Life Insurance Policies which the members might have assigned to the Board as security for payment of withdrawal from the Fund.

14. INVESTMENT OF THE FUND :

The moneys of the Fund not immediately required by the Board of Trustees shall be invested by the Board within two weeks from the

date of receipt of contribution from the NDDB in accorance with the pattern decided by the Board of Trustees in consultation with NDDB, from time to time, so, however, as to ensure safe, proper and timely returns to the members.

15. SALE OF SECURITIES :

The Board of Trustees may raise such sum or sums of money as may be required for the purpose of the Fund by sale of the securities standing in the name of the Fund, subject to the prior approval of two third majority of the Board of Trustees.

16. DISTRIBUTION OF PROFITS OF THE FUND :

(a) On, or as soon as may be after, the 31st day of March in each year, the Board of Trustees shall prepare a Balance Sheet and Revenue Account as at the date in respect of the preceding twelve months. In preparing the Balance Sheet the Board shall value investments of the Fund according to the cost value as on that date.

(b) The Revenue Account shall be credited with all income arising out of the investments of the Fund, all profits, if any, arising from sale of securities.

(c) The Board shall after crediting the Revenue Account as stated in clause (b) above, distribute the credit and balance to the individual accounts of the members at such rates as they may determine and in proportion to the total amount standing to his credit as on the period of account.

(d) The Board shall be competent to transfer and make available the amount available in the Interest Suspense Account for the general welfare of the members who are NDDB's employees, as the Board may deem fit. The amount shall be proportionate to the contribution of the member.

(e) (a) Interest shall be credited to members' account on monthly running balance basis with effect from the last day in each year in the following manner :-

(i) On the amount at the credit of a member on the last day of the preceding year, less any sums withdrawn during the current years - interest for 12 months,

(ii) On sums withdrawn during the current year - interest from the beginning of the current year upto the last day of the month preceding the month of withdrawal,

(iii) On all the sums credited to the member's account after the last day of the preceding year - interest from the first day of the month succeeding the month of credit to the end of current year,

(iv) The total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee (50 paise counting as the next higher rupee).

(b) Any profits arising from the account of securities shall be credited to the interest suspense account. The loss arising from the sale of securities shall likewise be debited to the Forfeiture account to the extent balance is available in that Fund and thereafter to the interest suspense account.

Explanation : In the case of a claim for the refund under Rules 22 or 23, interest shall be payable upto the end of the month preceding the date on which the final payment is authorised irrespective of the date of receipt of the claim from the claimant concerned.

Provided that interest upto and for the current month shall be payable on claims which are authorised on or after the 25th day of a particular month alongwith actual payment after the end of the current month.

Provided further that the rate of interest to be allowed on claims for refund for the broken currency period shall be the rate fixed for the financial year in which the refund is authorised.

(e) In determining the rate of interest, the Board shall satisfy itself that no excess amount is drawn from the Revenue Account as a result of debit thereto of the interest credited to the individual accounts.

(f) The Board shall before the close of the financial year, declare the rate of interest for the succeeding year.

16A. (1) In case of transfer of Provident Fund accumulations of final settlement of an account interest on the balance standing at the credit of the account shall be payable upto the end of the month preceding the date on which the transfer of final payment is authorised.

Provided that interest upto and for the current month shall be payable on the claims which are authorised on or after the 25th day of a particular month alongwith actual payment after the end of the current month.

The rate of interest to be allowed for the broken currency period shall be the rate declared for the year in which the payment is made.

(2) In case of a member coming from other Provident Fund, interest on his transferred accumulations is to be credited

to his account from the beginning of the month in which the accumulations are received.

17. AUDIT OF ACCOUNTS OF THE FUND :

(i) The accounts shall be audited yearly by auditor appointed by the Board of Trustees for this Fund. A copy of the audited annual provident fund accounts shall be submitted to

the NDDB within six months after the close of the financial year.

(ii) The accounts of the Provident Fund maintained by the Board of Trustees shall be subject to audit by qualified independent Chartered Accountants annually.

(iii) The Fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for & accountable to the NDDB inter alia for proper accounts of the receipts into and payment from the Fund and the balances in their custody.

18. INSPECTION :

The Board of Trustees shall afford facilities for inspection of the Accounts of the Fund to the NDDB.

18A. INTEREST SUSPENSE ACCOUNT :

All interest, profits from securities and other income realised or accrued shall be credited to an account called the "Interest Suspense Account". Brokerage and commission on the purchase and sale of securities and other investments shall be included in the purchase or sale price, as the case may be, and not separately charged to the "Interest Suspense Account".

19. ADVANCES

19A. FINANCING OF MEMBER'S LIFE INSURANCE POLICIES :

1) Where a member desires that premium due on a legally assignable policy of Life Insurance taken by him on his own life, or his wife or children should be financed from his Provident Fund Account, he may apply in writing for the same, provided the premium is payable yearly. On receipt of such application the Board of Trustees may make payment on behalf of the member to the Life Insurance Corporation of India or any Insurance Company, approved by the Board of Trustees, towards premium due on the policy and debited to the member's own contribution with interest standing to his credit in the Fund. Provided, such contribution is sufficient to pay the premium and where the payment is to be made on the first premium, sufficient to pay the premium for two years.

Provided that the period of maturity of the Policy shall not be less than 10 years.

2) The Member to whom the advance has been granted under this Rule, shall assign the Policy to the Board of Trustees and during the period of assignment, the Board of Trustees shall have full control over the Policy including the amount received thereunder, bonus etc.,

3) No Policy in the nature of money back policy is financed under this Rule.

4) On repayment of the advance with interest granted under this Clause, the Policy shall be reassignable to the Member.

19B. WITHDRAWAL FROM THE FUND FOR THE PURCHASE OF A DWELLING HOUSE/FLAT OR FOR THE CONSTRUCTION OF A DWELLING HOUSE INCLUDING THE ACQUISITION OF A SUITABLE SITE FOR THE PURPOSE

1). The Board of Trustees, may on an application from a member in such form as may be prescribed and subject to the conditions prescribed in this Rule sanction from the amount standing to the credit of the member in the Fund, a withdrawal -

a) for purchasing a dwelling house/flat, including a flat in a building owned jointly with others, or for constructing a dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose of construction of a dwelling house from any legal persons/agencies approved by the Board of Trustees.

b) for the construction of a dwelling house on a site owned by the member or the spouse of the member or jointly by the member and the spouse or for completing/continuing the construction of a dwelling house already commenced by the member or the spouse, on such site or for purchase of a house/flat in the joint name of the member and the spouse under clause (a) and (b) above.

2) The amount of withdrawal shall not exceed the member's basic wages and dearness allowance for thirty six months or the member's own share of contributions, together with the employer's share of contribution with interest thereon in his account in the Fund or the actual cost including registration fees towards the acquisition of the dwelling site (together with the cost of construction thereon) or the purchase of the dwelling house/flat or the construction of the dwelling house, whichever is the least.

3) (a) No withdrawal under this Rule shall be granted unless :

i) the member has completed five year's membership of the Fund;

ii) the member's own share of contributions with interest thereon in the amount standing to his credit in the Fund is not less than ten thousand rupees;

iii) the dwelling site or the dwelling house/flat or the house under construction is free from encumbrances.

Provided that where a dwelling site or a dwelling house/flat is mortgaged to any of the agencies, solely for having obtained Funds for the purchase of a dwelling house/flat or for the construction of a dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose, such a dwelling site or a dwelling house/flat as the case may be shall not be deemed to be an encumbered property :

Provided further that a land acquired on a lease for a period of not less than 30 years for constructing a dwelling house/flat, or a house/flat built on such a leased land, shall also not be deemed to be an encumbered property.

Provided also that where the site of the dwelling house/flat is held in the name of any agency, referred to in clause (a) of sub-rule (1) and the allottee is precluded from transferring or otherwise disposing of, the house/flat, without the prior approval of such agency, the mere fact that the allottee does not have absolute right of ownership of the house/flat and the site is held in the name of the agency, shall not be a bar to the giving of withdrawal under clause (a) of sub-rule (1), if the other conditions mentioned in this Rule are satisfied.

4) Subject to the limitation prescribed in sub-rule (2),

a) where the withdrawal is for the purchase of a dwelling house/flat or a dwelling site from an agency referred to in clause (a) of sub-rule (1), the payment of withdrawal shall not be made to the member but shall be made direct to the agency in one or more instalments, as may be authorised by the member ;

b) where the withdrawal is for the construction of a dwelling house, it may be sanctioned in such number of instalments as the Board of Trustees thinks fit;

c) where the withdrawal is for the acquisition of a dwelling site for the purpose of construction of a dwelling house thereon from any individual or any agency, the amount shall be paid in not less than two equal instalments, the first instalment at the time of the acquisition of the dwelling site and the remaining at his request at the time of the construction of a dwelling house on such dwelling site.

5) Where a withdrawal is sanctioned for the construction of a dwelling house, the construction shall commence within six months of the withdrawal of the first instalment and shall be completed within twelve months of the withdrawal of the final instalments. Where the withdrawal is sanctioned for the purchase of a dwelling house/flat or for the acquisition of a dwelling site, the purchase or acquisition, as the case may be, shall be completed within six months of the withdrawal of the amount :

6) An additional withdrawal upto twelve months ' basic wages and dearness allowance or the member's own share of contributions with interest thereon, in the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, may be granted once and in one instalment only, for additions, substantial alterations or improvements necessary to the dwelling house owned by the member or by the spouse or jointly by the member and the spouse :

Provided that the withdrawal shall be admissible only after a period of five years from the date of completion of the dwelling house.

6-A) A further withdrawal equivalent to the amount of difference between the amount of withdrawal admissible to a member under sub-rule (2) above as on the date of fresh application and the amount of withdrawal that was drawn by a member under this rule any time during 6 years preceding 3.10.81, may be granted to such a member (i) who had availed the earlier withdrawal for purchase of a dwelling site and has now proposed to construct a dwelling house on the land so purchased or (ii) who had availed the earlier withdrawal for making initial payment towards the allotment/purchase of a house/flat from any agency as referred to in clause (a) of sub-rule (1) above and has now proposed to avail a withdrawal for completing the transaction to get the sole ownership of the house/flat so purchased or (iii) who had availed the earlier withdrawal for construction of a house but could not complete the construction in time due to lack of Funds.

7) The member shall produce the title deed and such other documents as may be required for inspection which shall be returned to the member after the grant of withdrawal.

8) a) If the withdrawal granted under this Rule exceeds the amount actually spent for the purpose for which it was sanctioned, the excess amount shall be refunded by the member to the Fund in one lump sum within thirty days of the finalisation of the purchase, or the completion of the construction of, or necessary additions, alterations or improvements to a dwelling house, as the case may be. The amount so refunded shall be credited to the employer's share of contributions in the member's account in the Fund to the extent of withdrawal granted out of the said share and the balance, if any shall be credited to the member's share of contributions in his account.

b) In the event of the member not having been allotted a dwelling site/dwelling house/flat, or in the event of the cancellation of an allotment made to the member and of the refund of the amount by the agency or in the event of the member not being able to acquire the dwelling site or to purchase the dwelling house/flat from any individual or to construct the dwelling house, the member shall be liable to refund to the Fund in one lump sum and in such manner as may be specified by the Board of Trustees, the amount of withdrawal remitted under this Rule to him or, as the case may be, to the agency referred to in clause (a) of sub-rule (1).

The amount so refunded shall be credited to the employer's share of contributions in the member's account in the Fund, to the extent of withdrawal granted out of the said share, and the balance if any shall be credited to the member's own share of contributions in his account.

9) If the Board of Trustees is satisfied that the withdrawal granted under this rule has been utilised for a purpose other than that for which it was granted or misused the withdrawal granted under this rule, the Board of Trustee shall forthwith take steps to recover the amount due with penal interest thereon, as may be determined by the Board of Trustees, above the rate of interest allowed on the balance to the credit of the members, from the wages of the member in such number of instalments as the Board of Trustees may determine. For the purpose of such recovery the Board of Trustees may direct the employer to deduct such instalments from the wages of the member and on receipt of such direction, the employer shall deduct accordingly. The amount so refunded, excluding the penal interest, shall be credited to the employer's share of contributions in the member's account in the Fund to the extent of withdrawal granted out of the said share and the balance if any shall be credited to the member's own share of contributions in his account. The amount of penal interest shall however, be credited to the Interest Suspense Account/Revenue Account.

10) Where any withdrawal granted under this rule has been misused by the member, no further withdrawal shall be granted to him under this rule within a period of three years from the date of grant of the said withdrawal or till the full recovery of the amount of the said withdrawal, with penal interest thereon, whichever is later.

19C. ADVANCE FROM THE FUND FOR REPAYMENT OF LOANS IN SPECIAL CASES

1 a) The Board of Trustees may on an application from a member sanction from the amount standing to the credit of the member in the Fund, an advance for the repayment, wholly or partly of any outstanding principal and interest of a loan obtained from a State Government, Co-operative Society, Housing Board, Municipal Corporation or a body similar to the Delhi Development Authority solely for the purposes specified in sub-rule 1 of the rule 19-B.

b) The amount of advance shall not exceed the member's basic wages and dearness allowance for thirty six months or his own share of contributions together with the employer's share of contributions, with interest thereon, in the member's account in the Fund or the amount of outstanding principal and interest of the said loan, whichever is least.

2. No advance shall be sanctioned under this rule unless -

a) the member has completed five years' membership of the Fund, and

b) the member's own share of contributions, with interest thereon, in the amount standing to his credit in the Fund, is five thousand rupees or more; and

c) the member produces a certificate or such other documents, as may be prescribed by the Board of Trustees from such agency, indicating the particulars of the members, the loan granted, the outstanding principal and interest of the loan and such other particulars as may be required.

3. The payment of the advance under this rule shall be made direct to such agency on receipt of an authorisation from the member in such manner as may be specified by the Board of Trustees and in no event the payment shall be made to the member.

19D. ADVANCE FROM THE FUND FOR ILLNESS IN CERTAIN CASES

1. A member may be allowed non-refundable advance from his account in the Fund for the treatment of himself or his family member, in case of :

a. hospitalisation lasting for 10 days or more, or

b. major surgical operation in a hospital, or

c. suffering from T.B., leprosy, paralysis, Aids, cancer, mental derangement, kidney ailment or heart ailment and having been granted leave by his employer for treatment of the said illness.

2. The advance shall be granted if a doctor of the hospital certifies that a surgical operation or, as the case may be, hospitalisation for 10 days or more had or has become necessary (or a registered medical practitioner, or in the case of mental derangement or heart ailment, a specialist certifies that the member is suffering from T.B., leprosy, paralysis, cancer, aids, mental derangement or heart ailment or kidney ailment.

Provided that no such advance shall be granted to a member unless he has produced a certificate from a doctor of the hospital to the satisfaction of the Board of Trustees.

3. The amount advanced under this rule shall not exceed the member's basic wages and dearness allowance for six months or his own share of contribution with interest in the Fund, whichever is less.

19E. ADVANCE FROM THE FUND FOR MARRIAGES OR POST MATRICULATION EDUCATION OF SELF & CHILDREN

1. The Board of Trustees may on an application from a member, authorise payment to him or her of a non-refundable advance from his or her Provident Fund account not exceeding fifty percent of his or her own share of contribution with interest thereon, standing to his/her credit in the Fund, on the date of such authorisation, for his or his/her own marriage, the marriage of his or her daughter, son, sister or brother or for the post-matriculation education, or

vocational courses beyond the High School stage, of his or her son or daughter or his own post matriculation education which he has been permitted to undertake by the employer.

2. No advance under this rule shall be sanctioned to a member unless -

a. he has completed five years' membership of the Fund; and

b. the amount of his own share of contributions with interest thereon standing to his credit in the Fund is rupees five thousand or more.

3. Not more than three advances shall be admissible to a member under this rule.

19F. GRANT OF ADVANCES IN ABNORMAL CONDITIONS

1. The Board of Trustees may, on an application from a member whose property, movable or immovable, has been damaged by a calamity of exceptional nature, such as floods, earthquakes or riots, authorise payment to him from the Provident Fund account, a non-refundable advance, of rupees ten thousand or fifty per cent of his own total contributions including interest thereon standing to his credit on the date of such authorisation, whichever is less, to meet any unforeseen expenditure.

2. No advance under sub-rule (1) shall be paid unless -

i) the State Government has declared that the calamity has affected the general public in the area;

ii) the member produces a certificate from an appropriate authority to the effect that his property (movable or immovable) has been damaged as a result of the calamity; and

iii) the application for advance is made within a period of 4 months from the date of declaration referred to in sub-rule(i)

19G. GRANT OF ADVANCE TO MEMBERS WHO ARE PHYSICALLY HANDICAPPED

1. A member, who is physically handicapped, may be allowed a non-refundable advance from his account in the Fund, for purchasing an equipment required to minimise the hardship on account of handicap.

2. No advance under sub-rule (1) shall be paid unless the member produces a medical certificate from a competent medical practitioner to the satisfaction of the Board of Trustees to the effect that he is physically handicapped.

3. The amount advanced under this rule shall not exceed the members' basic wages and dearness allowance for twelve months or his own share of contributions with interest thereon or the cost of the equipment, whichever is the least.

4. No second advance under this rule shall be allowed within a period of three years from the date of payment of an advance allowed under this rule.

19H. GRANT OF ADVANCE TO MEMBERS FOR SELF-EMPLOYMENT OF CHILDREN

1. A member may be allowed non-refundable advance from his account in the fund for the purpose of self-employment of his unmarried son or unmarried daughter.

2. The amount of advance shall not exceed the member's basic wages and dearness allowance for twelve months or Rs.25,000/-, whichever is least.

3. No advance shall be sanctioned under this rule unless :-

(a) the member has completed 5 years membership of the fund, and
(b) the member produces a certificate or such other documents, as may be prescribed by the Board of Trustees indicating nature of employment, utilisation of advance and such other particulars as may be required.

19I WITHDRAWAL WITHIN ONE YEAR BEFORE RETIREMENT

The Board of Trustees may permit at any time after attainment of the age of 54 years by the member or within one year before his actual retirement on superannuation, whichever is later, the withdrawal of upto 90% of the amount standing at the credit of the member.

19J. GRANT OF ADVANCE TO MAKE PAYMENT TO POST RETIREMENT BENEFIT SCHEME

A member who has completed 10 years of membership may be permitted to withdraw upto 50% of the balance of his own contribution to make payment to post retirement benefit scheme for self and spouse framed by any public sector financial institution/nationalised bank.

19K. COMPUTATION OF PERIOD OF MEMBERSHIP

In computing the period of membership of the Fund of a member under rules 19-B, 19-C, 19-D, 19-E and 19-F, his total service exclusive of periods of breaks under the same employer or other establishment before the Fund came into existence as well as the period of his membership, whether of the Employees' Provident Fund established under the EPF Scheme, 1952 or private provident Funds exempted under the Section 17(1) of the Employees' Provident Fund & Misc. Provisions Act, 1952 or Paragraphs 27 or 27-A of Employees' Provident Fund Scheme, as the case may be, immediately preceding the current membership of the Fund, shall be included :

Provided that he has not severed his membership by withdrawal of his Provident Fund during such period.

20. TEMPORARY WITHDRAWALS

Temporary withdrawals may be allowed by the Board in the following circumstances on production of such proof as the Trustees may require.

1) a) to pay expenses incurred in connection with the illness of the employee or a member of his family;

b) to meet the cost of higher education, including, where necessary, the travelling expenses of any child of the employee actually dependent on him in the following cases; namely;

i. education outside India for academic, technical professional or vocational courses beyond the High School stage, and

ii. any medical, engineering or other professional, technical, vocational or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course or study is for not less than two years;

c) to pay expenses in connection with marriages, funerals or ceremonies, which by the religion of the employee it is incumbent upon him to perform.

Note

For the purposes of sub-rule (1), "Family", means any of the following persons who are wholly dependent on the employee, namely - the employee's wife, legitimate children, step-children, parents, unmarried sisters and minor brothers.

2) CONDITIONS FOR WITHDRAWAL FOR VARIOUS PURPOSES

i) The withdrawals in connection with expenses as specified in Rule 20 shall be :

Marriages : (Rule 20(1)(c))	Six months' basic wages and Dearness Allowance or the member's contribution with interest thereon, whichever is less.
Other purposes:	Six months' basic wages and Dearness Allowance or half of the members' contribution with interest thereon, whichever is less.

iii) The amount withdrawn shall be repaid in 24 to 48 instalments with such interest and in such manner as the Board may determine from time to time.

iv) Interest earned on refundable advance shall be credited to 'interest suspense account.'

vi) The NDDB shall recover the instalments of advance and interest from the member's wages and pay them to the Fund. The recovery of advance shall commence on the first occasion after advance is made on which the member's pay for a full month is drawn irrespective of whether the balance is or is not claimed by him.

vii) A withdrawal under Rule 20 shall be treated as temporary reduction in the member's balance and recoveries made under sub-clauses (iv) & (v), shall be credited, as they are made, to the member's account.

3) SECOND WITHDRAWAL.

A second withdrawal shall not be permitted until the sum first withdrawn has been fully repaid.

Provided that President may for special reasons permit a second withdrawal after at least half of the sum first withdrawn has been repaid. In such a case, the unpaid amount of the sum first withdrawn shall be recovered from the second withdrawal so permitted.

4) UTILISATION OF AMOUNT WITHDRAWN

i. A member who has withdrawn any advance according to the provisions shall furnish such proof of having actually spent the amount for the purpose for which it was sanctioned as may be required by the President within two months of the date of withdrawal of the advance.

ii. If the amount withdrawn is not utilised for the specified purpose, then the Secretary shall with the prior approval of the President order the recovery of the amount withdrawn in one or more instalments with interest from the pay of the member to be credited to the member's account.

iii. In case interest is recovered at penal rate on unutilised non-refundable withdrawals, the normal interest shall be paid to the members' account and the penal interest at the rate of 2% shall be credited to the interest suspense accounts.

21. PAYMENT FROM FUND TO MEMBERS OR THEIR REPRESENTATIVES :

Except as by these rules expressly provided no member nor any person or persons on his behalf or in respect of his interest in the Fund or assets thereof, shall be entitled to claim any payment of money to him or them.

22. PROHIBITION AGAINST TRANSFERS AND ASSIGNMENTS :

No member shall transfer or assign whether by way of security or otherwise his interest or any part thereof in the moneys lying

to his credit in the Fund and no such transfer or assignment shall be valid.

22A. FINAL WITHDRAWAL FROM THE FUND :

Circumstances in which accumulations in the fund are payable to member.

1) A member may withdraw the full amount standing to his credit in the Fund -

(a) On retirement from service after attaining the age of 58 years.

Provided that a member, who has not attained the age of 58 years at the time of termination of his service, shall also be entitled to withdraw the full amount standing to his credit in the Fund if he attains the age of 55 years before the payment is authorised.

(b) On retirement on account of permanent and total incapacity for work due to bodily or mental infirmity duly certified by the medical officer of the NDDB or where it has no regular medical officer, by a registered medical practitioner designated by the establishment.

(c) Immediately before migration from India for permanent settlement abroad or of taking employment abroad.

(d) On termination of service in the case of mass or individual retrenchment.

(e) On termination of service under a voluntary Scheme of retirement framed by the employer and the employees under a mutual agreement specifying, inter-alia, that notwithstanding the provisions contained in sub-clause (a) of clause (oo) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, excluding voluntary retirements from the scope of definition of 'retrenchment' such voluntary retirement shall for the purpose be treated as retrenchment by mutual consent of the parties.

2) The Board of Trustees may permit a member to withdraw the full amount standing to his credit in the Fund on ceasing to be an employee of NDDB provided that he has not been employed in any factory or other establishment to which the Scheme applies for a continuous period of not less than two months immediately preceding the date on which he makes an application for withdrawal. The requirement of two months waiting period shall not, however, apply in cases of female members resigning from the services of the establishment for the purpose of getting married.

23. PAYMENTS

(1) When the amount standing to the credit of a member becomes payable, it shall be the duty of the Board of Trustees to make prompt payment as provided in this rule. He shall close the account of the member and give notice in writing to the person to whom the amount is payable, specifying the amount and tendering payment thereof. In case there is no nominee in accordance with this rule or there is no person entitled to receive such amount under Rule 23 (b), the Board of Trustees may, if the amount to the credit of the Fund does not exceed Rs. 20,000/- and if satisfied after enquiry about the title of the claimant, pay such amount to the claimant.

(2) If any portion of the amount which has become payable is in dispute or doubt, the Board of Trustees shall make prompt payment of that portion of the amount in regard to which there is no dispute or doubt, the balance being adjusted as soon as may be possible.

(3) If the person to whom any amount is to be paid under these rules is a lunatic for whose Estate Manager under the Indian Lunancy Act, 1912 (4 of 1912) has been appointed, the payment shall be made to such Manager. If no such Manager has been appointed, the payment shall be made to the natural guardian of the lunatic and in the absence of any such natural guardian, such person as the officials authorised to make the payment (where the amount does not exceed Rs.20,000/-) or the Chairman of the Board of Trustees (if the amount exceeds Rs.20,000/-) considers to be the proper person representing the lunatic and the receipt of such person for the amount paid shall be a sufficient discharge thereof.

(4). If the person to whom any amount is to be paid under this rule is a minor for whose estate a guardian under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), has been appointed, the payment shall be made to such guardian. Where no guardian under the Guardians and Wards Act, 1890 has been appointed, the payment shall be made to the guardian, if any, appointed under sub-rule (e) of Rule 9. Where no guardian under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890) or under sub-rule (e) of Rule 9 has been appointed, the payment shall be made to the natural guardian and in the absence of a natural guardian, to such person as the officials authorised to make payment, (where the amount does not exceed Rs. 20,000/-) or the Presidenb of the Board of Trustees, (if the amount exceeds Rs. 20,000/-) considers to be the proper person representing the minor and the receipt of such person for the amount paid shall be a sufficient discharge thereof.

(5) If it is brought to the notice of the Board of Trustees that a posthumous child is to be born to the deceased member he shall retain the amount which will be due to the child in the event of its being born alive and distribute the balance. If subsequently no child is born or the child is

still born, the amount retained shall be distributed in accordance with the provisions laid down under Rule 23.

(6) i) Supplementary contribution from the employer in respect of leave wages/arrears of pay, instalment of arrear contribution received in respect of a member whose claim has been settled on account but which could not be remitted for want of latest address; or

ii) Accumulation in respect of any member who has either ceased to be employed or died, but no claim has been preferred within a period of three years from the date it becomes payable, or if any amount remitted to a person, is received back undelivered, and it is not claimed again within a period of three years from the date it becomes payable, shall be transferred to an account to be called the "Unclaimed Deposits Accounts".

Provided that in the case of a claim for the payment of the said balance, the amount shall be paid by debiting the "Unclaimed Deposits Accounts".

23A. PAYMENT ON DEATH OF MEMBERS :

On the death of a member before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable before payment has been made:

(a) If a nomination made by the member in accordance with Rule 9 subsists, the amount standing to his credit in the Fund or that part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in accordance with such nomination; or

(b) If no nomination subsists or if the nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the Part thereof to which the nomination does not relate as the case may be, shall become payable to the members of his family in equal shares.

Provided that no share shall be payable to -

i) Sons who have attained majority;

ii) Sons of a deceased son who have attained majority;

iii) Married daughters whose husbands are alive;

iv) Married daughters of a deceased son whose husbands are alive.

If there is any member of the family other than those specified in clause (i), (ii), (iii) and (iv):

Provided further that the widow or widows, and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the member and had not attained the age of majority at the time of the member's death.

(c) In any case, to which the provisions of Clauses (a) and (b) do not apply the whole amount shall be payable to the person legally entitled to it.

Explanation

For the purpose of this Rule a member's posthumous child, if born alive, shall be treated in the same way as a surviving child born before the member's death.

24. UTILISATION OF THE FORFEITED AMOUNT LYING IN THE FUND :

(1) Amount forfeited to the Fund may be utilised for the following purposes :-

(a) maintaining a higher rate of interest on the member's account at least at par with the rate of interest declared by the Government of India in respect of unexempted establishment;

(b) operating the Death Relief Fund;

(c) making good the capital loss to the Fund on account of purchase/sale/redemption of securities;

(d) meeting the money order commission in connection with despatch of Provident Fund consequent on settlement of claims to the members or their deceased family members;

Provided that where the Provident Fund amount payable by postal money order exceeds Rs. 500/- it shall be remitted at the cost of payee.

(e) making an ad-hoc payment of Rs. 500/- to the heirs of deceased member as an aid for procuring a succession/ guardianship Certificate.

(2) Death Relief Fund shall be created by transferring to it a part from the forfeited amount. The quantum of benefit from Death Relief Fund will be Rs.2,000/-.

(3) Any person who desires to claim payment under this Rule shall send a written application to the Board of Trustees, who may at the option of the person to whom the payment is to be made, make the payment;

i) by postal money order; or

ii) by depositing in the payee's bank account, in any schedule bank or any Co.op. bank (including the Urban Co.op. banks) or any Post Office; or

iii) by depositing in the payee's name the whole or part of the amount in the form of annuity term deposit scheme in any nationalised banks; or

iv) through the employer; or

v) by a/c payee cheque/demand draft and sent through post.

"Provided that where the Provident Fund amount payable by postal money order exceeds Rs. 500/- it shall be remitted at the cost of payee".

25. INCOME TAX DEDUCTION

The Board of Trustees or any person authorised by it shall deduct Income Tax as per provisions of Chapter XVII B of the Income Tax Act, from the payment of accumulated balance due to the members which is not exempted from it and is liable to be included in total income as provided under Rule 8 or 10 of Part A of the 4th Schedule of the Income Tax Act.

26. PROTECTION AGAINST ATTACHMENT :

(1) The amount standing to the credit of any member in the Fund shall not in any way be capable of being assigned or charged and shall not be liable to attachment under any Decree or Order of any Court in respect of any debt or liability incurred by the member and neither the Official Assignees appointed under the Presidency Towns Insolvency Act, 1909 nor any Receiver appointed under the Provincial Insolvency Act, 1920 shall be entitled to, or have any claim on any such amount;

(2) Any amount standing to the credit of a member in the Fund at the time of his death and payable to his nominee under this rules shall, subject to any deduction authorised by the said rules, vest in the nominee and shall be free from any debt or other liability incurred by the deceased or the nominee before the death of the member.

(3) The Employer shall take suitable insurance of the Fund to make good any loss that may be caused due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

27. ALTERATIONS OR AMENDMENTS IN THE RULES :

This Scheme shall not be altered or amended except with the previous approval the Board of Directors of NDDB.

28. TRANSFER OF PF ACCUMULATIONS TO OTHER PROVIDENT FUNDS :

(1) Where an employee leaves his employment and obtains re-employment in another establishment which has a Provident Fund Scheme, the amount of accumulation to the credit of his account in the Provident Fund of the establishment in which he is re-employed, if the employee so desires and the rules in relation to that Provident Fund permit such transfer.

(2) Where an employee joins the NDDB, the Board of Trustees shall accept the amount of accumulations to the credit of such employee in the Provident Fund of the establishment left by him, if the employee so desires and the rules in relation to such Provident Fund permit such transfer.

29. GUIDELINES ON DETAILS

The Board of Trustees, may, from time to time, make orders spelling out guidelines on matters on which the norms and details have to be spelt out and every such norm or guideline shall be deemed to be part of these regulations.

30. RELAXATION UNDER SPECIAL CIRCUMSTANCES

The President may where he is satisfied that the application of any rule will cause undue hardship, having regard to the circumstances of any particular case, relex or modify any rule in respect of any member or class of member.

31. INTERPRETATION

If any question of interpretation or doubt arises in relation to this Scheme, the matter shall be referred to the President whose decision shall be final and binding.

V. KURIEN, Chairman,
National Dairy Development Board

Annexure : A

FORM OF DECLARATION
(See Rule No.7 (c))

I hereby declare that I have read/have been read and explained to me and I have understood the National Dairy Development Board Staff Provident Fund Scheme. I hereby subscribe to and agree to be bound thereby.

Dated the _____ day of _____ 19___.

Name in full and address _____

_____

Date of Birth _____ Nature of appointment _____

Date of joining service _____.

Present Salary : (i) Basic _____

(ii) Dearness Allowance _____

Witness _____

Signature :

(1) Name _____

Address : _____

_____

Signature/Right or Left Hand Thumb Impression
of the Employee.

The applicant can be admitted as a member.

TRUSTEE.

Annexure "D".

DECLARATION BY A PERSON TAKING UP EMPLOYMENT OF THE ESTABLISHMENT.
(See Rule No.8)

I, _____ s/w/d of _____
(Name)
do hereby solemnly declare that I am/ I am not*

(a) a member of the Employees' Provident Fund;

(b) a member of private Provident Fund of an exempted establishment/an establishment granted relaxation under para 79 of the Scheme and but for such exemption/relaxation would have become and continued as a member of the Employees' Provident Fund;

(c) an employee exempted under para 27/27A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 and but for such exemption would have become and continued as a member of the Employees' Provident Fund.

I also declare that I was not employed*/I was employed in M/s.

_____
(Name and full address of the establishment)
which is/not a covered establishment/in any covered establishment under the Employees' Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952 My Provident Fund Account No. is*/was _____.

I further declare that I have*/have not withdrawn the total accumulations standing to my credit in the Fund.

Date _____ **Signature or right/left hand thumb impression of the employee.

NAME OF THE PRESENT EMPLOYER.

(To be filled up by the employer only when the person employed is not a member of the Employees' Provident Fund.)

Shri _____ is appointed as _____
(Name of the employee) (Designation)

in _____ with effect from _____
(Name of the factory/estt.) (Date of appointment)

Particulars of employment.

From	To	No. of days worked

Date of admission as member of Employees' Provident Fund _____

Date _____ Signature of the employer _____

Annexure "C"

(Refer Rule 9 (a) & (d))

NOMINATION AND DECLARATION FORM FOR UNEXEMPTED/EXEMPTED ESTABLISHMENTS

Declaration and Nomination Form under the National Dairy Development Board Staff Provident Fund Scheme, 1995 :

---

1. Name (in block Letter : _____

2. Date of Birth : _____

3. Account No. : _____

I hereby nominate the person(s)/cancel the nomination made by me previously and nominate the person(s), mentioned below to receive the amount standing to my credit in the NDDB Staff Provident Fund Scheme, 1995 in the event of my death :

Name of the nominee/ nominees	Address	Nominee's relation-ship with the mem-ber.	Age of nomi-ee(s).	Total amount of share of accumulations in Provident Fund to be paid to each nominee.	If the nomi-nee is a minor, name & address of the guardian who may rece-ive the amt. during the minority of nominee.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. *Certified that I have no family as defined in the NDDB Staff Provident Fund Scheme, 1995 and should I acquire a family hereafter the above nomination should be deemed as cancelled.

2. *Certified that my father/mother is/are dependent upon me.

*Strike out whichever is not applicable.

Signature/or thump impression of the Subscriber.

CERTIFICATE BY EMPLOYER

Certified that the above declaration and nomination has been signed/thumb impressed before me by Shri/Smt./Kum. _____ _____ employed in my establishment after he/she has read the entries/the entries have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her.

Signature of the employer or other authorised officer of the establishment.

Place : _____

Dated the : _____

Designation : _____

Name & Address of the Factory/ Establishment or rubber stamp thereof.

Note : WHOM YOU CAN NOMINATE :

(A) UNDER THE NDDB Staff PROVIDENT FUND SCHEME, 1995 :

(1) A member of EPF who is married and/or his father/mother is/are dependent upon him can nominate only one or more persons belonging to his family as defined below :

(a) In the case of a male member, his wife, his children, his dependent parents and his deceased son's widow and children;

(b) In the case of a female member, her husband, her children, her dependent parents, her husband's dependent parents, her deceased son's widow and children.

(2) If the member has got no family, or is a bachelor nomination may be in favour of any person or persons, whether related to him or not or even to an institution. If the member subsequently acquires a family such nomination shall forthwith become invalid and the member should make a fresh nomination in favour of one or more persons belonging to his family.

Annexure : "D"

APPLICATION FORM FOR VOLUNTARY CONTRIBUTION

(See Rule 10 (b))

Date of Application: _____

1. Name of the Employee : _____
2. Department/Section : _____
3. Account No., if any : _____

   Ledger Folio No. : _____
4. Present Rate : _____

   (a) Basic Pay : _____

   (b) Dearness Allowance: _____
5. Present Rate of Contribution : _____
6. Proposed Rate of Contribution : _____
7. Difference on account of Voluntary Contribution : _____
8. Date from which such Contribution is proposed to be made : _____
9. Address : _____

_____

Signature/Thumb Impression

Voluntary Contribution @ _____ % permitted.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1996

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कामगार (आचरण, अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 1995

सं. डी ई एल : एन डी डी बी—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) के खंड 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस संबंध में अन्य सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कामगार (आचरण, अनुशासन एवं अपील)(संशोधन) विनियम, 1995 कहा जाएगा ।

2. **राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, कामगार (आचरण, अनुशासन एवं अपील.) विनियम, 1995 में संशोधन :**

(1) विनियम 4 के खंड (घ) को हटा दिया जाएगा ।

(2) विनियम 4 के खंड (ङ) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को जोड़ा जाएगा, यथा :

"स्पष्टीकरण : वह कामगार जो सौंपे गए कार्य को उसके प्रयोजन के लिए निर्धारित समय में और उससे अपेक्षित निष्पादन की गुणता के साथ करने में अभ्यासत: असफल रहता है उसे उप-नियम (ख) और (ङ) के अर्थ के अंतर्गत कार्य-निष्ठा में कमी वाला माना जाएगा ।"

(3) विनियम 9 का उप-विनियम (4) को हटा दिया जाएगा और निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :

"अपील प्रस्तुत करने की स्थिति में, अध्यक्ष इस पर विचार करेगा कि क्या अधिरोपित परिणाम अत्यधिक या अपर्याप्त है और यथा संभव अपील की तारीख से 90 दिन के भीतर प्रबंध निदेशक द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि, उपांतरण या अपास्त करते हुए ऐसे निर्देशों के साथ समुचित आदेश पारित करेगा जिन्हें वह उचित समझता है और इस प्रकार पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा ।"

(4) विनियम 23 के उप-विनियम (1) में, "पाँच हजार रुपए" शब्दों "दस हजार रुपए" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(5) विनियम 23 के उप-विनियम (2) में "पाँच सौ रुपए" शब्दों को "दो हजार पाँच सौ रुपए" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(6) विनियम 35 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) में, "के साथ या" शब्दों को हटा दिया जाएगा ।"संचयी प्रभाव" शब्दों के बाद "पाँच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए" शब्दों को जोड़ा जाएगा ।

(7) विनियम 35 के उप-विनियम (1) के खंड (घ) में "पदोन्नति रोकना" शब्दों के बाद "तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए" शब्दों को जोड़ा जाएगा ।

(8) विनियम 35 के उप-विनियम (2) के खंड (क) को हटा दिया जाएगा ।

(9) विनियम 35 के उप-विनियम (2) में, खंड (ख) का खंड (ग) के रूप में पुन: संख्यांकन किया जाएगा,खंड (ग) का खंड (घ) के रूप में पुन: संख्यांकन किया जाएगा और खंड (घ) का खंड (ङ) के रूप में पुन: संख्यांकन किया जाएगा ।

(10) विनियम 35 के उप-विनियम (2) में, निम्नलिखित खंड (क) को जोड़ा जाएगा :

"(क) पाँच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए संचयी प्रभाव से वेतन-वृद्धि रोकना ।"

(11) विनियम 35 के उप-विनियम (2) में निम्नलिखित खंड (ख) को जोड़ा जाएगा :

"(ख) निम्नतर सेवा या पद पर अवनति लेकिन उससे ठीक नीचे निम्नतर प्रक्रम से अधिक नहीं, या निम्नतर वेतनमान से अवनति लेकिन उससे ठीक नीचे निम्नतर वेतनमान से अधिक नहीं, या वेतनमान के निम्नतर प्रक्रम पर अवनति लेकिन वेतनमान के उससे ठीक नीचे तीन निम्नतर प्रक्रमों से अधिक नहीं;

(12) विनियम 35 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, यथा :

"परन्तु यह कि अवनति के आदेश में यह विनिर्दिष्ट होगा कि क्या कामगार अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि उपार्जित करेगा या नहीं करेगा और क्या अवनति उसके वेतन की भावी वेतनवृद्धियों को मुल्तवी करने के लिए प्रभावित करेगी या नहीं करेगी ।

(13) विनियम 40 में "संबंधित कामगार" शब्दों के बाद "कौन" शब्द को हटा दिया जाएगा और निम्नलिखित शब्दों को रखा जाएगा यथा;

"अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा यथासंभव जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति के छह माह की अवधि के भीतर और वह"

(14) विनियम 43 के उप-विनियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ा जाए ,

"परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि अपीलार्थी के पास अपील समय से प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे ।"

(15) विनियम 43 के पश्चात् निम्नलिखित विनियमों को रखा जाए, इस प्रकार से :

"43 क अपील का प्ररूप और विषय :—(1) अपील प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक सदस्य इसे पृथक रूप में और अपने नाम से देगा।

(2) इन नियमों के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक अपील, अपील प्राधिकारी को संबोधित की जाएगी और इसमें :—

(क) वे सब तात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया;

(ख) किसी भी प्रकार की अशिष्ट या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होगा; और

(ग) यह अपने आप में पूर्ण होगी ।

43 ख वे परिस्थितियां जिनमें अपील को रोका जा सके ।

(1) अनुशासनिक प्राधिकारी जिसके आदेश से अपील प्रस्तुत की जाती है, वह अपील को रोक सकता है, यदि—

(क) यह एक ऐसे मामले की अपील है जिसके लिए इन नियमों के अधीन कोई अपील नही की जा सकती है, या

(ख) यह विनियम 43 क के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती, या

(ग) यह विनियम 43(2) में विनिदिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई है और विलम्ब के लिए कोई उचित कारण व्यक्त नहीं किया गया है, या

(घ) यह पिछली अपील की पुनरावृत्ति है जिसका पहले ही निर्णय किया जा चुका है और किसी भी नए तथ्यों या परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है जिनके आधार पर मामले पर पुनर्विचार किया जा सके ।

(2) प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें अपील को रोका गया है, अपीलार्थी को उसके बारे में तथ्यों और कारणों से सूचित किया जाएगा ।

(3) विनियम 43 क के उपबंधों का केवल अनुपालन न कर सकने में असफल होने के कारण रोकी गई अपील को, अपील रोकने के बारे में अपीलार्थी को सूचित करने की तारीख से एक माह के भीतर किसी समय प्रस्तुत किया जा सकता है, और, यदि इसे उक्त उपबंधों का अनुपालन करते हुए प्ररूप में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है तो इसे रोका नहीं जाएगा ।

43(ग) अपील प्राधिकारी रोकी गई किसी अपील को मंगा सकता है ।

अपील अधिकारी नियम 43ख के अधीन रोकी गई किसी भी अपील को मंगा सकता है और विनियम 43 के अधीन अधिकथित रीति से कार्रवाई करके इस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझता है ।"

(16) विनियम 44 में, "उसकी स्वप्रेरणा पर" शब्दों के बाद "या संबंधित श्रमिक के आवेदन-पत्र पर" शब्दों को रखा जाएगा ।

वी. कुरियन, अध्यक्ष
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 1996

THE NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD WORKMEN (CONDUCT, DISCIPLINE AND APPEAL) (AMENDMENT) REGULATIONS, 1995

No. DEL : NDDB—In the exercise of the powers conferred by Section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987) and of all other powers enabling them in that behalf, the Board of Directors hereby make the following amendments, namely :

1. **Short title and Commenement :**

(1) These regulations may be called the National Dairy Development Board Workmen (Conduct,Dicipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 1995.

(2) Save as otherwise provided in these regulations, the provisions, thereof shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. **Amendments to the National Dairy Development Board, Workmen (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1988 :**

(1) The clause (d) of Regulation 4 shall be deleted.

(2) In clause (e) of regulation 4, the following explanation shall be added, namely :
"Explanation : A workman who habitually fails to perform a task assigned to him within the time set for the purpose and with the quality of performance expected of him shall be deemed to be lacking in devotion to duty within the meaning of sub-regulations (b) and (e)".

(3) Sub-regulation (4) of Regulation 9,shall be deleted and the following shall be substituted, namely :
"In case an appeal is preferred, the Chairman shall consider whether the consequences imposed are excessive or inadequate and pass appropriate orders as far as possible, within 90 days of the date of appeal, confirming, modifying or setting aside the orders passed by the Managing Director with such direction as he may deem fit and every such order shall be final".

(4) In sub-regulation (1) of Regulation 23, for the words "rupees five thousand", the words "rupees ten thousand" may be substituted.

(5) In sub-regulation (2) of Regulation 23, for the words "rupees five hundred", the words "rupees two thousand five hundred" may be substituted.

(6) In clause (c) of sub-regulation (1) of Regulation 35, "with or" shall be deleted. The words "for a maximum period of five years" shall be added after the words "cumulative effect".

(7) In clause (d) of sub-regulation (1) of regulation 35, the words "for a maximum period of three years;" may be added after the words "withholding of promotion";

(8) Clause (a) of sub-regulation (2) of Regulation 35, shall be deleted.

(9) In sub-regulation (2) of the Regulation 35, the clause (b) shall be renumbered as clause (c), clause (c) shall be renumbered as clause (d) and clause (d) shall be renumbered as clause (e).

(10) In sub-regulation (2) of the Regulation 35, the following clause (a) shall be added :
"(a) withholding of increments with cumulative effect for a maximum period of five years".

(11) In sub-regulation (2) of the Regulation 35, the following clause (b) shall be added:
"(b) reduction to lower service or post not exceeding the next lower stage, or to a lower payscale not exceeding the next lower pay scale, or to a lower stage in a payscale not exceeding the next three lower stages in payscale;

(12) The following proviso may be added after clause (b) of sub-regulation (2) of Regulation 35, namely :
"Provided that the order of reduction shall specify whether the workmen will or will not earn increments during the period of reduction and whether the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay."

(13) In Regulation 40, the word "who" shall be deleted after the words "workman concerned" and the following words shall be inserted, namely :
"as far as possible within a period of six months of receipt of enquiry report, by the disciplinary authority and he"

(14) In sub-regulation (2) of Regulation 43, the following proviso may be added:
"Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time."

(15) The following Regulations may be inserted after Regulation 43, thus:

"43A Form and content of appeal:—(1) Every member preferring an appeal shall do so separately and in his own name.

(2) Every appeal preferred under these rules shall be addressed to the appellate authority and shall—
(a) contain all material statements and arguments relied on by the appellant.
(b) contain no disrespectful or improper language; and
(c) be complete in itself.

43B Circumstances in which appeal may be withheld.

(1) The disciplinary authority from whose order an appeal is preferred may withhold the appeal if—
(a) it is an appeal in a case in which under these Rules, there is no appeal, or
(b) it does not comply within the provisions of regulation 43A, or
(c) it is not preferred within the period specified in Regulation 43(2) and no reasonable cause is shown for the delay, or
(d) it is repetition of a previous appeal which has already been decided and no new facts or circumstances are adduced which afford grounds for a reconsideration of the case.

(2) In every case in which an appeal is withheld, the appellant shall be informed of the fact and the reasons therefor.

(3) An appeal withheld on account only of failure to comply with the provisions of regulations 43A may be resubmitted at any time within one month of the date on which the appellant has been informed of the withholding of the appeal, and, if resubmitted in a form which complies with the said provisions, it shall not be withheld.

43C. Appellate authority may call for any appeal withheld.

The appellate authority may call for any appeal which has been withheld under Rule 43B and deal with it in the manner laid down under regulation 43 and pass such orders thereon as it thinks fit".

(16) In regulation 44, the following words "or on an application from the workman concerned" shall be inserted after the words "on its own motion".

V. KURIEN, Chairman,
National Dairy Development Board

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 1995

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1996

सं. डी ई एल : एन डी डी बी.—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) के खंड 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस संबंध में अन्य सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी (आचरण, अनुशासन एवं अपील)(संशोधन) विनियम, 1995 कहा जाएगा ।

2. **राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, अधिकारी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1995 में संशोधन :**

(1) विनियम 4 के खंड (घ) को हटा दिया जाएगा ।

(2) विनियम 4 के खंड (ङ) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को जोड़ा जाएगा, यथा :

"स्पष्टीकरण : वह अधिकारी जो सौंपे गए कार्य को उसके प्रयोजन के लिए निर्धारित समय में और उससे अपेक्षित निष्पादन की गुणता के साथ करने में अभ्यासत: असफल रहता है उसे उप-विनियम (ख) और (ड) के अर्थ के अंतर्गत कार्य-निष्ठा में कमी वाला माना जाएगा ।"

(3) विनियम 9 का उप-विनियम (4) को हटा दिया जाएगा और निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :

"अपील प्रस्तुत करने की स्थिति में, अध्यक्ष इस पर विचार करेगा कि क्या अधिरोपित परिणाम अत्यधिक या अपर्याप्त है और यथा संभव अपील की तारीख से 90 दिन के भीतर प्रबंध निदेशक द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि, उपांतरण या अपास्त करते हुए ऐसे निर्देशों के साथ समुचित आदेश पारित करेगा जिन्हें वह उचित समझता है और इस प्रकार पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा ।"

(4) विनियम 23 के उप-विनियम (1) में, "पाँच हजार रुपए" शब्दों "दस हजार रुपए" शब्दों से प्रति स्थापित किया जाए ।

(5) विनियम 23 के उप-विनियम (2) में "पाँच सौ रुपए" शब्दों को "दो हजार पाँच सौ रुपए" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(6) विनियम 35 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) में, "के साथ या" शब्दों को हटा दिया जाएगा । "संचयी प्रभाव" शब्दों के बाद "पाँच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए" शब्दों को जोड़ा जाएगा ।

(7) विनियम 35 के उप-विनियम (1) के खंड (घ) में "पदोन्नति रोकना" शब्दों के बाद "तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए" शब्दों को जोड़ा जाएगा ।

(8) विनियम 35 के उप-विनियम (2) के खंड (क) को हटा दिया जाएगा ।

(9) विनियम 35 के उप-विनियम (2) में, खंड (ख) का खंड (ग) के रूप में पुन: संख्यांकन किया जाएगा खंड (ग) का खंड(घ) का रूप में पुन: संख्याकन किया जाएगा और खंड (घ) का खंड (ड) के रूप में पुन: संख्यांकन किया जाएगा ।

(10) विनियम 35 के उप-विनियम (2) में, निम्नलिखित खंड (क) को जोड़ा जाएगा :

"(क) पाँच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए संचयी प्रभाव से वेतन-वृद्धि रोकना ।"

(11) विनियम 35 के उप-विनियम (2) में निम्नलिखित खंड (ख) को जोड़ा जाएगा :

"(ख) निम्नतर सेवा या पद पर अवनति लेकिन उससे ठीक नीचे निम्नतर प्रक्रम से अधिक नहीं, या निम्नतर वेतनमान से अवनति लेकिन उससे ठीक नीचे निम्नतर वेतनमान से अधिक नहीं, या वेतनमान के निम्नतर प्रक्रम पर अवनति लेकिन वेतनमान के उससे ठीक नीचे तीन निम्नतर प्रक्रमों से अधिक नहीं;

(12) विनियम 35 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, यथा :

"परन्तु यह कि अवनति के आदेश में यह विनिर्दिष्ट होगा कि क्या अधिकारी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि उपार्जित करेगा या नहीं करेगा और क्या अवनति उसके वेतन की भावी वेतनवृद्धियों को मुल्लतवी करने के लिए प्रभावित करेगी या नहीं करेगी ।

(13) विनियम 40 में "संबंधित अधिकारी" शब्दों के बाद "कौन" शब्द को हटा दिया जाएगा और निम्नलिखित शब्दों को रखा जाएगा, यथा;

"अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा यथासंभव जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति के छह माह की अवधि के भीतर और वह"

(14) विनियम 43 के उप-विनियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ा जाए ,

"परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी उक्त अवधि के अवसान के पश्चात अपील ग्रहण कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि अपीलार्थी के पास अपील समय से प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे ।"

(15) विनियम 43 के पश्चात निम्निलिखित विनियमों को रखा जाए, इस प्रकार से :

"43 क अपील का प्ररूप और विषय :--(1) अपील प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक सदस्य इसे पृथक रूप में और अपने नाम से देगा।

(2) इन नियमों के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक अपील, अपील प्राधिकारी को संबोधित की जाएगी और इसमें :—

(क) वे सब तात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया;

(ख) किसी भी प्रकार की अशिष्ट या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होगा; और

(ग) यह अपने आपमें पूर्ण होगी ।

43 ख वे परिस्थितियां जिनमें अपील को रोका जा सके ।

(1) अनुशासनिक प्राधिकारी जिसके आदेश से अपील प्रस्तुत की जाती है, वह अपील को रोक सकता है, यदि—

(क) यह एक ऐसे मामले की अपील है जिसके लिए इन नियमों के अधीन कोई अपील नहीं की जा सकती है, या

(ख) यह विनियम 43 क के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती, या

(ग) यह विनियम 43(2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई है और विलम्ब के लिए कोई उचित कारण व्यक्त नहीं किया गया है, या

(घ) यह पिछली अपील की पुनरावृत्ति है जिसका पहले ही निर्णय किया जा चुका है और किसी भी नए तथ्यों या परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है जिनके आधार पर मामले पर पुनर्विचार किया जा सके ।

(2) प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें अपील को रोका गया है, अपीलार्थी को उसके बारे में तथ्यों और कारणों से सूचित किया जाएगा।

(3) विनियम 43 क के उपबंधों का केवल अनुपालन न कर सकने में असफल होने के कारण रोकी गई अपील को, 'अपील रोकने के बारे में अपीलार्थी को सूचित करने की तारीख से एक माह के भीतर किसी समय प्रस्तुत किया जा सकता है, और, यदि इसे उक्त उपबंधों का अनुपालन करते हुए प्ररूप में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है तो इसे रोका नहीं जाएगा ।

43(ग) अपील प्राधिकारी रोकी गई किसी अपील को मंगा सकता है ।

अपील अधिकारी नियम 43ख के अधीन रोकी गई किसी भी अपील को मंगा सकता है और विनियम 43 के अधीन अधिकथित रीति से कार्रवाई करके इस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझता है ।"

(16) विनियम 44 में, "उसकी स्वप्रेरणा पर" शब्दों के बाद "या संबंधित श्रमिक के आवेदन-पत्र पर" शब्दों को रखा जाएगा ।

वी. कुरियन, अध्यक्ष
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

THE NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD OFFICERS (CONDUCT, DISCIPLINE AND APPEAL) (AMENDMENT) REGULATIONS, 1995

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 1996

No. DEL : NDDB—In the exercise of the powers conferred by Section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987) and of all other powers enabling them in that behalf, the Board of Directors hereby make the following amendments, namely :

1. **Short title and Commencement :**

(1) These regulations may be called the National Dairy Development Board Officers (Conduct, Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 1995.

(2) Save as otherwise provided in these regulations, the provisions, thereof shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. **Amendments to the National Dairy Development Board, Officers (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1988.**

(1) The clause (d) of Regulation 4 shall be deleted.

(2) In clause (e) of regulation 4, the following explanation shall be added, namely :
"Explanation : A workman who habitually fails to perform a task assigned to him within the time set for the purpose and with the quality of performance expected of him shall be deemed to be lacking in devotion to duty within the meaning of sub-regulations (b) and (e)".

(3) Sub-regulation (4) of Regulation 9, shall be deleted and the following shall be substituted, namely :
"In case an appeal is preferred, the Chairman shall consider whether the consequences imposed are excessive or inadequate and pass appropriate orders as far as possible, within 90 days of the date of appeal, confirming, modifying or setting aside the orders passed by the Managing Director with such direction as he may deem fit and every such order shall be final".

(4) In sub-regulation (1) of Regulation 23, for the words "rupees five thousand", the words "rupees ten thousand" may be substituted.

(5) In sub-regulation (2) of Regulation 23, for the words "rupees one thousand", the words "rupees five thousand" may be substituted.

(6) In clause (c) of sub-regulation (1) of Regulation 35, "with or" shall be deleted. The words "for a maximum period of five years" shall be added after the words "cumulative effect".

(7) In clause (d) of sub-regulation (1) of regulation 35, the words "for a maximum period of three years" may be added after the words "withholding of promotion".

(8) Clause (a) of sub-regulation (2) of Regulation 35, shall be deleted.

(9) In sub-regulation (2) of the Regulation 35, the clause (b) shall be renumbered as clause (c), clause (c) shall be renumbered as clause (d) and clause (d) shall be renumbered as clause (e).

(10) In sub-regulation (2) of the Regulation 35, the following clause (a) shall be added :
"(a) withholding of increments with cumulative effect for a maximum period of five years"

(11) In sub-regulation (2) of the Regulation 35, the following clause (b) shall be added:
"(b) reduction to lower service or post not exceeding the next lower stage, or to a lower payscale not exceeding the next lower pay scale, or to a lower stage in a payscale not exceeding the next three lower stages in payscale;

(12) The following proviso may be added after clause (b) of sub-regulation (2) of Regulation 35, namely :
"Provided that the order of reduction shall specify whether the employee will or will not earn increments during the period of reduction and whether the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay".

(13) In Regulation 40, the word "who" shall be deleted after the words "officer concerned" and the following words shall be inserted, namely :
"as far as possible within a period of six months of receipt of enquiry report, by the disciplinary authority and he".

(14) In sub-regulation (2) of Regulation 44, the following proviso may be added :
"Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time".

(15) The following Regulations may be inserted after Regulation 44, thus :
"44A Form and content of appeal:—(1) Every member preferring an appeal shall do so separately and in his own name.

(2) Every appeal preferred under these rules shall be addressed to the appellate authority and shall—
(a) contain all material statements and arguments relied on by the appellant.
(b) contain no disrespectful or improper language; and
(c) be complete in itself.

44B Circumstances in which appeal may be withheld.

(1) The disciplinary authority from whose order an appeal is preferred may withhold the appeal if—
(a) it is an appeal in a case in which under these Rules, there is no appeal, or
(b) it does not comply with the provisions of regulation 44A, or
(c) it is not preferred within the period specified in Regulation 44(2) and no reasonable cause is shown for the delay, or
(d) it is repetition of a previous appeal which has already been decided and no new facts or circumstances are adduced which afford grounds for a reconsideration of the case.

(2) In every case in which an appeal is withheld, the appellant shall be informed of the fact and the reasons therefor.

(3) An appeal withheld on account only of failure to comply with the provisions of regulations 44A may be resubmitted at any time within one month of the date on which the appellant has been informed of the withholding of the appeal, and, if resumbmitted in a form which complies with the said provisions, it shall not be withheld.

44C. Appellate authority may call for any appeal withheld.

The appellate authority may call for any appeal which has been withheld under Rule 44B and deal with it in the manner laid down under regulation 44 and pass such orders thereon as it thinks fit".

(16) In regulation 45, the following words "or on an application from the officer concerned" shall be inserted after the words "on its own motion".

V. KURIEN, Chairman,
National Dairy Development Board

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996